THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you pleased sit down? I am on my legs. If it is to be discussed, are you satisfied with two minutes for each Member? Now, every Member has spoken for two or three minutes just to raise the issue. It was not agreed to that a full-scale discussion will take place today. (*Interruptions*) That is why Members have spoken just to raise the matter and not from the point of view of having a full

1.00 P.M. discussion. (*Interruptions*) Why don't you listen to me? I am clarifying the whole issue. The Chairman said that he would allow you to raise the issue but the discussions would take place later. Now, I do not know... (*Interruptions*).

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: We wanted to ask the Government to come out with the statement. .

SHRI DIPEN GHOSH : That was not the understanding. The Government side must come out with the reply whether we are going to make any statement, whether the discussion is going to take place today or not. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: If that was the position, it would have come on the agenda as a regular item, but it has not come on the agenda as a regular item. (*Interruptions*). Please, do not try to mix up the issue.

SHRI DIPEN GHOSH: If that is the position, in protest we walk out.

SHRI V. GOPALSAMY: We condemn this Government. (*Interruptions*)*.

(*At this stage some hon. Members left the Chamber*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned for lunch and will meet again at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

*Expunged as ordered by the chair.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock

The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthapa) in the Chair

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): First the Bills for introduction.

THE AGRICULTURE YORKERS BILL 1987

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of agricultural workers and to regulate their employment and conditions of service and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I introduce the Bill.

THE SATI ABOLITION BILL, 1987

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the abolition of the practice of Sati and matters incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

THE DECLARATION AND PUBLICATION OF ASSETS AND LIABILITIES OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL, 1987—Contd ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Further consideration of the Bill moved by Shri Satya Prakash Malaviya. Dr. Vijaya Mohan Reddy to continue his speech.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I wholeheartedly

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

support this Bill moved by our respected senior Member, Shri Satya Prakash Malaviya. So many new issues have come to light. There are kick-backs; there are commissions. This kick-back-Commission raj, this role of big money is affecting the vitals of our entire nation. There is no activity where money does not rule. This money power menace will have to be taken by the horns for Indian democracy to thrive and nourish and serve the interests of vast millons of our countrymen. For every three rupees spent by the exchequer, only work of one rupee is actually executed. This is what has been stated in several of those research papers which have gone into this problem. The remaining two rupees go into the hands of middlemen. This is the sad state of affairs. .This is why all our Plan schemes are not able to achieve the desired results. Years, are passing by and because of the huge escalation in costs, we are not able to complete so many projects in spite of spending two to three times more than the original esimated amount. That is why, Sir, if we want a clean Administration, the most important thing is that the heads—the Cabinet Ministers, the Prime Minister and Members of Parliament—those who make the laws—should lead a life beyond suspicion. That is why they will have to declare their assets, which should be published in the Gazette, and that is the intention of this Bill.

Sir, it is said that there is flight of capital from this country and, according to the estimate of the Finance Ministry of the Government of India itself, an amount to the tun[illegible] of Rs 20,000 crores has gone o[illegible]try. This .is black money [illegible] black deed, and the entire nation has to suffer when the money which should have been utilized here—money which has been created by the sweat and blood of our own people—goes abroad and serves the purpose of trying to strengthen the forces of imperialism to exploit other countries. This tendency of the Big Business of going out and trying to find fresh pastures, just as a parastite leaves a dead body, is a new feature which has come into the Indian economic life.

The Indian capitalist economy has grown old. In stead of trying to expand and trying to exploit the markets of our own country and trying to be part of our own country, it is lying out. This is a very dangerous situation and a remedy has to be found for this particular malady. Otherwise, the entire economy of this country will break up and then nothing short of a revolutionary overthrow of the existing set-up will have to take place.

In this connection, Sir, we have heard, and seen in the press, that Rs. 200 crores have gone as kickbacks in the Bofors deal. It has been openly decleared that Rs. 200 crores have been given as kickbacks. Who has received these kickbacks and where is punishment of the guilty? Standing here in this august House of Parliament, I am very sorry to say that even though months have lapsed, we are not in a position to name the culprit and punish him. This is a very sad state of affairs. So also about the submarine deal. It has been accepted that Rs. 30 crores have been given as kickbacks.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): This Bill has nothing to do with it. .

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: That is why I am trying to say, let the Ministers come out with declaration of their assets; Let them come out to say that they don't have any foreign bank accounts. It is very necessary. You please come out stating that you have no foreign bank account. So also let there be statements Members of Parliament. ... (*Interruptions*)... I am sot getting angry. I am trying to say that this has something to do with it. That is why I say, the entire Bill is timely. oppoitune. and I request both sides of the House to appreciate this Bill and vote positively for this Bill. Thank you, Sir.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने मंत्रियों और संसद सदस्यों की परिसंपत्तियों की घोषणा और

प्रकाशन संबंधी विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें कहा गया है--

"मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की आस्तियों और दायित्वों की घोषणा तथा प्रकाशन के उपबंध करने पर विचार किया जाए।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे मित्र श्री मालवीय जी ने रखा है, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। लेकिन इस बिल के अन्दर उन मूल्यों या कानूनों की व्यवस्था होनी चाहिए जिनके माध्यम से लोकशाही, लोकतंत्र मजबूत हो सके।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1920 से 1947 के बीच में हमारे देश में महात्मा गांधी की रहनुमाई में आजादी लाने के लिए और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन चलेगा तो गुलामी के खिलाफ इस मुल्क में 1897 ई० में ही आजादी का बिगुल बज चुका था और 1887 ई० में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन सही माने में हिन्दुस्तान में जन-जागरण लोक-शक्ति और जन-शक्ति का आविर्भाव 1920 के बाद शुरू हुआ जिसके माध्यम से देश के अन्दर महात्मा गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ। 1920 और 1947 के बीच में इस मुल्क में कई लाख ऐसे इंसान पैदा हुए जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मुल्क के लिए समर्पित थे और त्याग, बलिदान की भावना से ओत-प्रोत इंसान महात्मा गांधी ने पैदा किए जो इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। 1947 में देश आजाद हुआ आजादी के बाद एक विकासशील देश में जो जो चीजें होती हैं उन चीजों से हमारा मुल्क भी अछूता नहीं रहा। इसी संसद में और बाहर भी हमारे विरोधी दलों के द्वारा तरह-तरह के सवाल उठाए गए और सरकारी पक्ष के खिलाफ तरह-तरह के सवाल उठाए गए और मुल्क में बहस होती रही। लेकिन सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि हमारे जैसे विकासशील देश में जो चरित्र हत्या का तरीका अपनाया गया, विशेष रूप से विरोधी दलों के द्वारा, वह इस मुल्क में लोकतंत्र के भविष्य को नष्ट करने वाला काम हो रहा है। मेरी मान्यता यह है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर ईमानदार और सच्चा कोई है तो वह राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति है चाहे वह कांग्रेस पार्टी के अन्दर हो या विरोधी दलों के अन्दर हो। मैं उनको ईमानदार मानता हूं क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज की सेवा की भावना से काम करने के लिए किसी दल के माध्यम से आता है और वह लाखों करोड़ों की सेवा करने के बाद ही एम० एल० ए० या एम० पी० बनता है और उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप लगाकर कीचड़ उछालने का काम जो समय समय पर होता आया है, उससे देश में लोकतंत्र की मर्यादा नष्ट हुई है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और सदन के बाहर विरोधी दलों के द्वारा हमारे मुल्क के श्री बीजू पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री थे, उन पर 6 महीने तक पार्लियामेंट में बहस होती रही। उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर लगातार बहस होती रही अन्त में कांग्रेस पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल बाहर किया। जब वे कांग्रेस पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिए गए तो विरोधी दलों ने उनको अपना नेता बना लिया। यह उन लोगों की मान्यता रही है। इसी भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेकर हमारे नेता जो हमारी पार्टी में थे उन्होंने गुजरात में बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया। उन्होंने चिमन भाई पटेल जो भ्रष्ट व्यक्ति की संज्ञा दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई जयप्रकाश जैसे लोगों ने, चरण सिंह जैसे लोगों ने वहां आंदोलन चलाया। वहां आन्दोलन चला। कांग्रेस की पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। जब कांग्रेस पार्टी से वह निकाल दिये गये तो जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी का सूबे अध्यक्ष बना दिया। फिर लोक दल ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इस समय मोर्चा पार्टी के नेता उन्हें

[श्री कल्पनाथ राय]

अपनी बगल मे लेकर गुजरात का दौरा कर रहे है। अगर इस बात की गारटी आप करे कि हम किसी सार्वजनिक जीवन मे काम करने वाले किसी व्यक्ति पर आरोप लगायेगे और आरोप साबित होने पर अगर कोई दल निकालेगा तो उसको हम अपने दल मे नही रखेगे तो ठीक है लेकिन यह काम आप नही करते। यही बगल मे हरियाणा मे एक सरकार बनी है लोक दल 'अ' है या 'ब' है पता नही। 'अ' ने 'ब' के ऊपर बड़े आरोप लगाये, चरित्र हत्या के आरोप लगाये लेकिन फिर भी देवी लाल की सरकार वहा बनी। देवी लाल सत्ता मे आये और मुख्यमत्री उन्ही को बना दिया गया। काग्रेस सरकार ने कहा कि आप ही राजकाज चलाइये। उन्होने मुख्य मत्री बनते ही अपने बेटे को सदन का एम. पी बना दिया। केवल एम पी. ही नही बनाया बल्कि हरियाणा राज्य का लोक दल का अध्यक्ष भी बना दिया। अपने दूसरे बेटे को एम एल. ए बना दिया। अपने तीसरे बेटे को मार्किटिग का चेयरमैन बना दिया, अपने दामाद को एडवोकेट जनरल बना दिया, दूसरे दामाद को कोआपरेटिव क. चेयरमैन बना दिया, तीसरे दामाद को कोआपरेटिव फैडरेशन का चेयरमैन बना दिया। इस तरह से अपने परिवार के, रिश्तेदार के, नातेदार के 46 सदस्यो को सत्ता के विभिन्न पदो पर बैठा दिया। क्या यही लोकशाही को मजबूत करने का तरीका है? क्या लोकशाही इन्ही कारणो से मजबूत होगी? क्या लोकतत्र ऐसे ही मजबूत किया जायेगा यही मै पूछना चाहता हू।

जनता सरकार के मित्रो ने कहा कि विकासशील देश के अंदर लोकशाही कायम करनी चाहिये लेकिन वे खुद मे लोकशाही कायम नही कर सकते। दुनिया मे जितने विकासशील देश है उनमे भारत ही एक ऐसा देश है जहा 40 वर्ष से लोकतत्र का चिराग जल रहा है। यह लोकतत्र का चिराग तब तक जलता रहेगा जब तक सरकारी पार्टिया और गैर सरकारी पार्टिया, पक्ष और विपक्ष दोनो मे राष्ट्रीय मतैक्य की भावना काम करती रहेगी।

मालवीय जी हम इस बिल का समर्थन करते है। आप को याद होगा जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो आपके नेता चौधरी चरण सिह ने खुद एक बिल पेश किया था सरकारी पार्टी की तरफ से और आपकी ही एक पार्टी ने इतना विरोध किया था उसका कि उस बिल को आप पास नही करा सके। छिद्रनिवारण के आधार पर इस मुल्क मे जनता पार्टी को सरकार बनी जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ी नेता श्रीमती इदिरा गाधी के ऊपर बीसो कमीशन बैठाये। रेडियो, अखबार, टेली-विजन का सहारा लेकर उनकी चरित्र हत्या की पूरी कोशिश की गयी। एक भी कमीशन ने उनके खिलाफ कोई आरोप नही लगाया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश). शाह कमीशन पढ लीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : एक भी आरोप श्रीमती इदिरा गाधी के खिलाफ नही लगा। हम ही लोगो के कहने पर जनता सरकार ने मोरारजी देसाई के बेटे काति देसाई के भ्रष्टाचार पर और चौधरी चरण सिह और उनके परिवार के सदस्यो के भ्रष्टाचार पर वैद्यलिगम आयोग बनाया। उस वैद्यलिगम आयोग को बनाने वाले मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिह थे। उसी आयोग ने लिखा कि मोरारजी देसाई के बेटे काति देसाई भ्रष्ट और बेईमान है। उन्ही वैद्यलिगम आयोग ने लिखा है कि चौधरी चरण सिह का परिवार और उनकी पत्नी बेईमान और भ्रष्ट है। यह रुपया लेकर नौकरी दिलाते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मै वैद्यलिगम आयोग की रिपोर्ट दे दूगा आप देख लीजिए ऐसा नही है आप इसको एक्सपंज कराइये।

श्री कल्पनाथ राय : अदर से मालवीय जी खुश हो रहे हैं लेकिन बाहर से

ऐसी बात करते हैं। वैद्यलिगम आयोग की रिपोर्ट में. .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): कल्पनाथ राय जी जिस बात से आपने भाषण प्रारम्भ किया छिद्रान्वेषण और चरित्र हत्या से मैं समझता हूं कि आप अपने भाषण में इसी छिद्रान्वेषण में पड़ गये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच में मालवीय जी के बिल का समर्थन करते है तो आप उसके बारे में बताइये, उस पर बोलिये।

श्री जे०पी० गोयल (उत्तर प्रदेश): आप बिल पर बोलिये।

श्री कल्पनाथ राय : जगदम्बी प्रसाद यादव जी आप जो कह रहे है इसमें आप यह भूल जाते है कि उसके समर्थन मे अगर मैं कोट न करूं तो आखिर इस बिल का मतलब क्या होगा, इसकी मान्यता क्या होगी।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वैद्यलिगम आयोग ने मोरारजी देसाई, कांति देसाई और चौधरी चरणसिंह के परिवार के लोगों को भ्रष्टाचारी और बेईमान पाया। मैं खुद श्रीमती गांधी के पास वैद्यलिगम आयोग की रिपोर्ट लेकर गया और मैंने कहा कि आज ही इस पर तुरन्त क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और जनता पार्टी के महा-पापियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि कल्पनाथ जी, जनतंत्र में बदले की भावना से काम नहीं किया जाता है। जो काम उन्होंने किया है हमारे खिलाफ उसका फल वे पा रहे है। मैं भी यदि चरित्र हत्या की राजनीति करूंगी तो हम देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे। देश की गरीबी भारत की सबसे बड़ी शत्रु है। चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई हमारे शत्रु नहीं हैं बल्कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शत्रु भारत की गरीबी है। हम सबसे मिलकर देश का जो सबसे बड़ा शत्रु गरीबी है उसको नष्ट करना है, हमें चौधरी चरणसिंह और मोरारजी देसाई को नष्ट नहीं करना है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी का जवाब था। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र पार्टी छोड़कर बाहर गये। उन्होंने जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर के साथ मिलकर कहा कि इमरजेंसी जो लगी वह गलत थी और जो दो बजट हमने पेश किये वे बजट भी हमने गलत पेश किये। इन बजटों की दिशा गलत थी, ये बजट गलत थे। जब वे सत्ता में थे तो उस वक्त उनको कोई गलती नहीं दिखाई दी लेकिन जब वे सत्ता से बाहर चले गये तो उनको गलतियां दिखाई दीं। आज विरोधी पार्टी के लोग उनको लेकर हिन्दुस्तान भर में घूम रहे है। सत्य प्रकाश मालवीय जी आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चरित्र हत्या के माध्यम से देश का विकास नही हो सकता। जो नेता जी आजकल घूम-घूम कर जन मोर्चा बना रहे हैं क्या कभी आपने उनसे पूछा है कि जो तीन हजार एकड़ जमीन लैंड सीलिंग में निकली थी उसको उन्होंने ट्रस्ट में कैसे दिया? इस पर क्या आपने कभी सोचा है क्या इस पर कोई ध्यान दिया गया है। एक तरफ तो आप भूमि सुधार की बात करते हो और दूसरी तरफ भूमि को हड़पने वाले, भूमि की चोरी करने वाला जो है, भूमि पर डकैती डालने वाला जो है उसको अपना समर्थन देते हो। जो तीन हजार एकड़ भूमि लैंड सीलिंग से निकली थी जिसको गरीबों में वितरित किया जाना था उस तीन हजार एकड़ जमीन को वह आदमी अपने ट्रस्ट में रख लेता है जिस ट्रस्ट के मेम्बर उसकी पत्नी वह, उसके लडके और उसके भाई हैं। तीन हजार एकड़ जमीन हड़पने वाला व्यक्ति और गरीबों का मसीहा बनकर घूम रहा है। यह तुम्हारा चरित्र है यह तुम्हारा करेक्टर है।... **(व्यवधान)**...

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वही व्यक्ति वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए अपने बी० काम पास लड़के को 1 लाख 62 हजार रुपये की नौकरी सिटी बैंक न्यूयार्क मे दिलाता है। हिन्दुस्तान से एक बी० काम पास लड़के को पांच सौ रुपए की नौकरी सत्य प्रकाश मालवीय जी आप नहीं दिला सकते है। लेकिन वित्त मंत्री अपने बी० काम पास लड़के को 1 लाख

[श्री कल्पनाथ राय]

62 हजार रुपए की नौकरी दिलाते हैं। ...(व्यवधान)...अभी एन० टी० आर० पर भी आता हूं। तब कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जब अमरीका में वी० काम पास लड़के को नौकरी दिलवा दें। मैंने इसी सदन में कहा था नौकरी हासिल करने के बाद एक महीने के अन्दर उसी भूतपूर्व वित्त मंत्री का बेटा नान रेजीडेंट इण्डियन की हैसियत से 25 लाख के रिलायंस कम्पनी के शेयर खरीदता है अपनी पत्नी के नाम शेयर खरीदवाता है। कहां है उसकी नैतिकता और ईमानदारी? आज हिन्दुस्तान के विरोधी दलों के लोग उनको अगल-बगल ले कर के घूम रहे हैं। आने वाला जमाना बताएगा अपने बेटे को एक लाख 62 हजार की नौकरी दिलाते हैं वही बेटा सिटी बैंक न्यूयार्क में नौकरी में होते हुए नान रेजीडेंट इण्डियन बन कर लंदन में अपना पता बता कर 25 लाख के शेयर खरीदता है और अपनी पत्नी के नाम पर भी 25 लाख के शेयर खरीदता है। मैं पूछता हूं वह रुपया कहां से आया? मैंने प्रधानमंत्री जी और भारत के राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है डा० रत्नाकर पाण्डेय और हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है और होम मिनिस्ट्री उसकी जांच-पड़ताल कर रही है और आरोप एग्जामिन करने के बाद सदन के सामने भी यह मामला आएगा और दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा। (व्यवधान) आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय * * *

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): No, he cannot say like this, What is the topic and wnat he is speaking? Please come to the point. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please sit down (*Interruptions*). No, you please sit down.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: What is the subject and what he is speaking? These words should be removed from the record.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Please sit down. You cannot dictate the Chair (*Interruptions*). He has not taken the name. Please sit down.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय ने यही कहा कि (व्यवधान) असंसदीय नहीं है।...

* * *

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: This is meaningless. (*Interruptions*).

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: If the names of the Chief Ministers are to be brought in who cannot defend themselves here, then what is this?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please sit down.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have no objection to my friend to make personal allegations provided the Chair also allows the Opposition to make similar charges, if there are any, against Members of the Congress Party. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Kalpnath Rai, Please address the Chair. (*Interruptions*).

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय अभी आन्ध्र विधान सभा के अन्दर एन टी० रामाराव के भ्रष्टाचार पर बहस चल रही है (व्यवधान) किस तरह से एन० टी० रामाराव ने अपने दामाद को सारे कानून और नियमों को ताक पर रख कर के इंडस्ट्रीयल लाइसेंस दिया है (व्यवधान)

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: What is the subject and what he is speaking?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Please don't take the name. (*Interruptions*) Will you please sit down?

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN : We don't mind to sit down but ask him to take those words back (*Interruptions*).

श्री कल्पनाथ राय : मैंने यही कहा है कि जो विधान सभा में आरोप लगाए गए है क्या यह मुझे कहने का अधिकार नहीं है ? एन० टी० रामाराव ने अपने दामाद को इंडस्ट्रीयल लाइसेंस दिया (व्यवधान)

श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान : यह क्या है (व्यवधान)

THAKUR JAGATPAL SINGH (Madhya Pradesh): What is he saying is a fact.

श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान : बिलकुल गलत, नही बोल सकते है आप । (व्यवधान)

3.00 p.m.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Either he must withdraw the words or you must expunge them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have already told you I will look into it. (*Interruptions*) Mr. Kalpnath Rai, please conclude now.

श्री कल्पनाथ राय : मैंने उन्हीं तथ्यो को सामने रखा है जो तथ्य आपने भी पढ़ होंगे दुनिया पढ़ रही है। मैंने कहा कि जो लोग सुरीति, सुनीति नैतिकता की बातें करते हैं वे ही लोग सत्ता में आने पर किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके अपने दामादों को अपने बेटों को किस तरह से बड़े-बड़े पदों पर रखते है । क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, क्या यह सत्ता का भ्रष्टाचार नहीं है ? यही बुनियादी सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।

आदरणीय मालवीय जी जो बिल लाये है मैं उसका विरोध नही कर रहा हूं, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं लेकिन मालवीय जी से मेरा निवेदन है कि 1947 के बाद आजादी के बाद केवल संसद सदस्यों और विधायकों को या मंत्रियों को मत लीजिए इस मुल्क मे नौकरशाह है, सिविल सर्वेंट्स भी हैं जिनकी सम्पत्ति 1947 के बाद 20, 30, 50 और 100 गुना बढ़ी है, इन सारे लोगों को भी आप अपने बिल की प्रक्रिया के फ्रेमवर्क में लाइये और यह बहस बंद कीजिए यदि बहस बंद नही करेंगे तो जैसे आप कहेंगे वैसे हम कहेंगे।

इस विकासशील देश के अन्दर जो जनतंत्र का चिराग जल रहा है...मैं आपसे ईमानदार किसी को नही मानता हूं... आपका अधिकार नहीं है .. (व्यवधान) इसलिए आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व ने हिंदुस्तान में जनतंत्र का चिराग जलाकर रखा है । एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में केवल एक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व ही ऐसा रहा है जिसने कि इस चिराग को जलाया और 40 वर्षों मे हिंदुस्तान मे आजादी का चिराग जल रहा है।

हिंदुस्तान की आजादी का मकसद केवल हिंदुस्तान से गरीबी हटाना नही था हिंदुस्तान की आजादी का उद्देश्य... (समय की घंटी) विश्व विकास और विश्व से साम्राज्यवाद का अन्त करना था । जिन उद्देश्यों और जिन लक्ष्यों को लेकर आजादी का संघर्ष 1947 के पहले लड़ा गया था उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्र के नेता राजीव गांधी जी दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे है और हमे विश्वास है कि राजीव गांधी के नेतृत्व मे इस मुल्क मे सादगी सदाचार राष्ट्रीयता का ऐसा जोर बढ़ेगा कि हम अपने राष्ट्र को लेकर गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पदचिन्हों पर चलकर भारत की आजादी को मजबूत बना पायेंगे।

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM (West Bengal): Hon. Vice-Chairman, Sir, with all humility, I would like to assure you that I will try to stick to the subject-matter of the topic. My learned friend Mr. Kalpnath Rai started by saying that nothing positive can be achieved in this country by making character assassination of political leaders. I leave it to you to assess whether what he said all through his time was anything else but character assassination or not. It is up to you

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Motafa Bin Kuasem]

I rise to support this Bill initiated by my distinguished colleague Shri Satya Prakash Malaviya. To my understanding, a legislation of this type was long overdue in our country and this type of legislation, Sir, you would kindly appreciate, has special relevance and added importance in the present scenario of Indan public life which is characterised, among other things, by an increasing suspicion in the minds of the people at large regarding corruption of persons in high positions. For this reason, this type of legislation has special importance. Sir, this increasing suspicion or the suspicious attitude of the people regarding persons in high positions is clearly manifest very recently in the wake of certain arms deal, namely the Bofors Gun Deal, the German Submarine Deal, involving crores of rupees. There is no denying the fact that inquiry commissions have been appointed by the Government. But whatever may be the findings of such inquiry commissions, though not in most cases, but in many cases the manner in which such commissions are appointed and the mode of their functioning cause suspicions in the minds of the people and the suspicions continue to remain. This Bill relates to declaration of assets and liabilities by Members of Parliament and Ministers. There is no denying the fact that Ministers are at the helm of affairs of the Government and we as Members of Parliament do occupy important positions There is no guarantee that such positions have not been misused and there is also no guarantee that such positions may not be misused. So this Bill is quite relevant. We as Members of Parliament and the Ministers are representatives of the people not merely representatives of the people, we are considered to be political leaders and we are expected to guide the people we represent, guide them in their political life. As true representatives of the people, if we are to earn the confidence of the people we represent, we should set an example. It is not enough that Ministers and Members of Parliament function honestly and they do not misuse their position. What is more necessary is that it must appear that they are honest and that they are not misusing their position. In other words, you can very well understand, they must be seen as honest in the eyes of the people. And to my understanding one method of ensuring that Ministers as well as Members of Parliament are seen as honest in the eyes of the people, at least one way of ensuring that, is to make a declaration of their assets and liabilities, to make a declaration of the assets and liabilities of their family members, before the respectve Presiding Officers, as my learned colleague, Mr. Satya Prakash Malaviya, puts it in this piece of legislation, and who shall cause it to be published in the Offical Gazette and shall also cause it to be placed before both Houses of Parliament.

Apart from that, we Members of Parliament and Ministers do talk of cleansing public life. Government is eager to have an Anti-Corruption Act. We as Members of Parliament and as Ministers should come forward to set an example before the people, we should keep ourselves above suspicion, and, therefore, we should make a declaration of our assets and liabilities before our respective Presiding Officers. We do claim and we do honestly claim that we are honest and we do not indulge in corruptions, we do not misuse our position. In the context of our claim if we make such disclosures, we have nothing to lose. Therefore I once again wholeheartedly support the Bill.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय माननीय जी ने जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । जैसा बिल मे जाहिर है संसद सदस्य मिनिस्टर्ज अपनी प्रापर्टी का डेक्लेरेशन करें श्रीमन् एक चीज बहुत साफ है और हमारे विरोधी दल के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री में रह चुके हैं मिनिस्ट्री में आने के बाद उनका सब मे पहला काम यही होता है कि उनको अपने असेट्स एंड लायबिलटीज का डेक्लेरेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है । इसलिए मैं यह नहीं समझता कि इसका रेलेवैंस कहां तक है so far as the Minister is concerned. तो सब से पहले उनको अपनी असेट्स एंड लाय-बिलटीज का डेक्लेरेशन देना पड़ता है,

ओथ लेते ही, फिर उसके बाद वे अपने काम करते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट को कहीं पर शक होता है तो वह उसकी जांच कराए या नहीं कराए यह एक अलग बात है। लेकिन दूसरी जो मेम्बर आफ् पालियामेंट की बात है श्रीमन् एक चीज बहुत साफ बतला देना चाहता हूं कि ये पब्लिक के बीच से चुनकर आते हैं और उनकी एक खुली किताब होती है तथा पब्लिक देखती रहती है कि इनकी असेट्स एंड लायबिल्टी क्या है। हम जैसे लोगों के बारे में जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनके अन्दर और बाहर तक का सब को पता चल जाता है कि वे क्या चोरी कर रहे हैं या क्या बेईमानी कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं यह और बतला दूं कि बहुत सारी बातें मैम्बर आफ् पालियामेंट के बारे में कही जाती हैं। अगर कहीं दस या पांच रुपये महीना भी बढ़ गया तो दुनिया भर में शोर मच जाता है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एक मैम्बर आफ् पालियामेंट महीने में कुल मिलाकर एक हजार तनख्वाह और कुछ भत्ते मिलाकर सवा दो हजार रुपया महीना पाता है जो कि एक क्लर्क की तनख्वाह के बराबर होता है उस पर भी साहब हमारी डेक्लेरेशन लें। यह तो आपकी हालत है। मैं नहीं कह सकता कि आप बड़े घराने से या बड़े लोगों से संबंध रखते हैं आपके पास प्रापर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन हम जैसे गरीब आदमी जिनके पास ऐसी प्रापर्टी नहीं है और जो हैंड टू माउथ बने रहते हैं और जब अपने घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं बच्चे का कपड़ा नहीं है कहीं बीवी के पास कपड़े नहीं हैं, कहीं शाम के वक्त दाल बन जाती है तो सवेरे के समय नमक नहीं है और डेक्लेरेशन ले लीजिए हम से भी साहब। मैं आपको यह बतलाऊं बहुत साफ चीज है, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइये एक मैम्बर आफ् असेंबली 4 हजार 50 रुपये आमदनी पाता है और उसके लिए एकोमोडेशन फ्री, बिजली-पानी फ्री, 35 हजार रुपये तक ट्रैवल फ्री, बसेज फ्री और क्या-क्या बतलाऊं, बहुत सारी चीजें हैं, प्लेन का भी है और गाड़ी खरीदने के लिए एक लाख का कर्जा और बेचारे मैम्बर आफ पालियामेंट के पास क्या है? यह आप मालवीय जी से पूछ लीजिए साहब। मैं क्या डेक्लेरेशन दूं? अगर लेना चाहते हैं तो मेरे घर पर चले जाइये, मेरी असेट्स को देख लीजिए, मेरी लायब्लिटी को देख लीजिए, खुली किताब है। दूसरी चीज मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि देखिए आरोप और प्रत्यारोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, मैं भी उस समय मैम्बर पालियामेंट था जब जनता पार्टी का रिजीम हुआ तो उस समय एक बड़ा मामला जगुआर डील चला था और शोर मचा था कि 35 परसेंट तक कमीशन लिया गया जिसे हर माननीय सदस्य जानता है। लेकिन वह बात कहां तक सही थी। उसी तरीके से बोफोर्स का चला। यह भी चीज सामने आ जायेगी। लेकिन देश के लोग इल्जाम नहीं लगाते, हम ही लोग एक-दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। देश के लोग बैठ करके देखते हैं कि यह क्या कर रहे हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है। हम हरिद्वार में काली कमली वाले के यहां जब शाम के वक्त रोटी बंटनी शुरू होती है और सारे साधू इकट्ठा होते हैं तो कौन पहले दाल ले-ले, तो एक साधू दूसरे की लंगोटी पकड़कर खींचता है, वह नंगा हो जाता है। दूसरे की दाढ़ी पकड़कर खींचता है। वह बाप-बाप चिल्लाते हैं। वही हालत हमारी हो रही है इस पालियामेंट के अन्दर, हम एक-दूसरे की लंगोटी पकड़कर खींच रहे हैं, कोई हमारी दाढ़ी पकड़कर खींच रहा है और यही हालत हो रही है। अगर यही हमारा करैक्टर एसैसिनेशन रहा तो मुल्क में हम किसको अपना मुंह दिखलायेंगे? जिनके जीवन का एक-एक क्षण इस बात से परे रहा है, शुबह से परे रहा है कि हमने कोई बेईमानी या चोरी किया, आज हमको भी दूसरों के सामने जाकर कहना पड़ रहा है कि यह बोफोर्स क्या है, मैं क्या कहूं, फेयरफेक्स क्या है मैं क्या कहूं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि देखिए मुल्क का करेक्टर यह मत बनाइए कि हम तब तक ईमानदार हैं जब तक हमको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। यह करेक्टर मत बनाइए। अगर आपको बेईमानी करने का भी मौका मिले तब भी ईमानदार रहें,

[श्री सुखदेव प्रसाद]

यह मुल्क का करेक्टर हो सकता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कोई आ जाती है और किसी के खिलाफ इस तरीके के सबूत हों कि दरअसल उसने कहीं चोरी या बेईमानी की है तो उसको उठाइये कोई मना नही करता है। लेकिन ऐसी बातों को लेकर जिससे देश का करेक्टर दुनियां के सामने सड़क पर आ जाए और ऐसी चीजों को लेकर जिससे गवर्नमेंट का करेक्टर दुनिया के सामने सड़क पर आ जाये, इससे एक व्यक्ति की इज्जत नहीं जाती, पूरे भारत की इज्जत जाती है, पूरे देश की इज्जत जाती है। आप यह जान लें, आप गवर्नमेंट में बैठेंगे तो कहीं न कही लैकुना आप मे भी रहेगा और हम गवर्नमेंट में बैठेंगे तो कहीं न कहीं लैकुना रहेगा। लेकिन अगर आप उसको सोच-समझ कर हाऊस मे बयान नही देंगे, पूरी बात को जानकर अगर आप हाऊस में अपने वक्तव्य को संतुलित नही रखेंगे तो देश का करेक्टर कहां जायेगा? यह कहा नही जा सकता।

हम और आप देश के लिए एक मिसाल है, नमूना है। अगर हम और आप एक दूसरे को गलत साबित करते रहे तो किस मुह से जाकर दूसरों को कहेंगे कि तुम बेईमान हो या चोर हो। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप इन सब बातो की ओर विशेष ध्यान दें और ऐसी चीजों को कतई न लें। ऐसी चीजे नही होनी चहिए कि हमारी और आपकी बेईमानी हो या ईमानदारी हो या न हो, लेकिन देश के सामने हम बेईमान जरूर साबित हों। ऐसी बातों को न होने दें, यह देश के जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन होगा।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मालवीय जी आपने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें एक चीज तो पहले बदल चुके हैं क्योंकि मैं भी केन्द्र मे एक छोटा सा मिनिस्टर रह चुका हूं और मुझे पता है पहले भी उस समय मुझे असेटस और लाइबिल्टीज का हिसाब देना पड़ता था और आज भी मंत्री को देना पडता है जनता पार्टी की रिजीम में यादव जी भी मंत्री रहे है उनको भी देना पड़ा था। कहीं कोई छिपा नहीं है। हमारी जो असेट्स और लाइबिल्टीज है वह हम बताते है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा दूसरे तरीके से एक सुधरे हुए तरीके से लाएं, जिससे कि हाऊस मे हम लोग उसका सपोर्ट करें और उसके जरिए हम लोग अपनी असेट्स और लाइबिल्टीज सारी चीजों को आपके सामने रखें। धन्यवाद।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, विधेयक पर माननीय सुखदेव जी ने जैसा कहा मुझे लगता है कि उन्होंने अन्तःकरण से कहा, लेकिन दल इतना हावी है कि दल की उस विकरालता को उन्होंने जैसे शंकर जी विषपान कर जाते है उसको विषपान करके बोल रहे थे। मैं यहां से अपनी बात कहना चाहता हूं भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन संस्कृति से परिपुष्ट है लेकिन 1100 वर्ष की गुलामी ने इसकी भारतीयता को इसकी संस्कृति को, इसकी महत्ता को नष्ट करने का सतत् प्रयास किया। मैं एक उदाहरण मे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जो चरित्र की कमी हम देखते हैं या सब लोग अनुभव करते हैं, यह भारत की देन नहीं है, यह देन हमारी गुलामी के काल की है जिसने गुलामी को लादा उसकी है। आज हम एक-एक पैसे की चोरी के लिए बदनाम किए जाते है बदनाम करने के लायक भी हैं लेकिन कल तक हमारे बीच एक कहानी प्रचलित थी कि हमारे घरो में ताले नहीं लगते थे। एक आदमी ने अपना खेत बेचा। बेचनेवाले ने जब उसे

जोता तो उसमे सोने का घडा निकला। वह दौड़ता हुआ बेचनेवाले के यहा गया कि तुमने तो खेत बेचा था सोने का घड़ा तो नही बेचा था। तो मेरा तो सिर्फ खेत है सोने का घडा तो तुम्हारा था। बेचनेवाले ने कहा कि जब मैंने बेचा था तो जमीन मे स्थित सारी चीजे उसके समेत बेची। यह कहा लिखा है कि जमीन के भीतर जो घड़ा निकला उसको हमने नही बेचा। अब दोनो उसे लेने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि वह समझते थे कि हमारी ईमानदारी पर लानत आएगी। लेकिन आज चरित्र की जो कमी आई है उसको देखकर भी हमने नहीं देखा है।

मेरा दूसरा कहना यह है कि हमारा जब भारतीय संविधान बना उसमें भी भारतीयता का उल्लंघन हुआ। सन् 1860 से 1935 तक अंग्रेजो ने संविधान में अपने ढंग का सुधार किया। उसी संविधान को हमने अपना संविधान बनाया। इस संविधान मे भारतीयता कहां है। इसमें सिर्फ किसी चीज के प्रारंभ के समय नारियल फोड देना ही रह गया है या सदाचार का लेवल लगा लेना ही रह गया है। उसके अन्त करण मे जो मानवता की सच्चरित्रता की सत्यता की जो सलिला बहती थी, उस सलिला को छोडकर हम कैसे उसका निराकरण करेंगे।

कांग्रेस मे जहां एक तरफ महात्मा गांधी थे। त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। लोकमान्य तिलक थे। वहीं पर एक आदमी ऐसा भी रहा करता था जो कांग्रेस के कार्यक्रम को अंग्रेजों तक पहुंचाया करता था। यह कांग्रेस की संस्कृति में कल तक भी था और आज भी है। मैं केन्द्र में तो नजदीक से कम लोगों को जानता हूं लेकिन बिहार में मैंने देखा है कि हमारे यहा तो मुख्य मंत्री की लड़ायी होती थी। लाठी के साथ, जाति के साथ होती थी, पूरे प्रभाव के साथ होती थी और खोजा जाता था कि कौन हमारे यहां लठैत है। वह विधायक बनेगा। कौन हमारी तरफ वाचाल है, वह वक्ता बनेगा। मुझे याद है एक व्यक्ति जो गाली देता था, गाली देने के परिणामस्वरूप उसे विधान परिषद का सदस्य बनाया गया क्योंकि यह बहुत लंगड़ा है। लंगड़े गुट को मुह पर भी जाकर गाली दे सकता है। सुखदेव बाबू अगर एक-एक आदमी इस प्रकार का न घुसा होता तो यह स्थिति बिल्कुल नही होती। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि नीलम संजीव रेड्डी आपके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मंत्रियो को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के सांसदों को अपना हिसाब-किताब देना ही चाहिए। श्री राजगोपालाचारी जी आपके ही थे। उन्होने कहा कि कोटा परमिट की पद्धति का राज ठीक नहीं है। इस प्रकार की सरकार नहीं चलनी चाहिए। उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी। कांग्रेसी विरोधी के रूप मे बोलने की हिमाकत रखता था और मंत्रियों के समाने करता था। आज क्या वही कांग्रेस है। मैं कोई बुराई की नीयत से नही कहता। मैं आपकी सहृदयता को जानता हूं। लेकिन आज जिस प्रकार के लोग घुस आए है, उसमे क्या कीजियेगा? हमारे माननीय नेता कल्पनाथ जी ने तैश मे आकर हमारे एक माननीय मंत्री महोदय को नाचने-गानेवाला कह दिया। नाचना-गाना अच्छा है, श्रेष्ठ है। लेकिन मैं वही शब्द उनसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सुरक्षा के लिए इलाहाबाद में किसको उतारा। बंबई से मद्रास से किसको लाए। श्रीमन्, देहात के अन्दर एक कहावत है:

"चलनी (आटा छानने का पात्र)
चली पैला (आटा मापने का पात्र)
दोष देने जिसमें स्वयं ही सहस्रो छेद"

आप भाषण उठाकर देखिए, उनमें बोफोर्स शब्द भले ही आया है, लेकिन उसके बाद उसमे और कुछ नहीं जोड़ा गया है। किसी विरोधी दल के सदस्य ने किसी पर सीधा आक्रमण नही किया है। जो भ्रष्टाचार या पैसा जमा होने की बात है, वह सबने कही। इसलिए अगर भडास मिटाने के लिए यह बात कही जाए तो उस पर आप गंभीरता मे विचार करें। लेकिन कल्पनाथ राय कहते थे कि गंभीर विचार मत करो लेकिन यह कहो कि कल जो मिनिस्टर थे उनके पास साइकिल भी नहीं थी आज उनके पास फ्लैट हो

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

गए है। लेकिन भले ही पहले का किसी के पास पैसा हो, मगर आज उनका भी पैसा स्विस बैंक में जमा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हू कि 7 वी पचवर्षीय योजना मे जितना रुपया खर्च हुआ है गरीबो को ऊपर उठाने के लिए उनमे से कितने लोग ऊपर उठे है? क्या हिन्दुस्तान का इतिहास ढिंढोरा पीटकर नही कह रहा है कि उसी से जो काला धन बना उसमे से हजारो, लाखो रुपया स्विस बैंक मे जमा हुआ? वह रुपया कहा से आया? आज जो परमिट व कोटा सिस्टम है विदेश व्यापार का उसस या करोडो रुपया जमा नही हो रहा है? आज एक परमिट भी मिल जाए या स्मगलिंग का सिलसिला मिल जाए लखपति हो जाए। यह किसके इशारे से होता है। माननीय मत्री जी इसकी जिम्मेदारी सारे लोगो की है, चपरासी से लेकर जो सचिव काम करता है, वे सब मिलकर मत्री बनते है। इसलिए सारे अवगुण भी आपके माथे पर, आपकी सरकार पर, आपके ऊपर आते हैं। इसलिए कभी-कभी लगता है कि दुर्गुण किसी ने किया और आरोप आपके ऊपर लगा लेकिन जिस पद पर आप पदासीन है, वह तत्र कितना पवित्र है, उस तत्र के लिए आपकी जिम्मेदारी ठहरती है। यह आपकी व्यक्तिगत नही है। अगर व्यक्तिगत होगी तो उसको साफ करना पड़ेगा। श्री पाणिग्रही को देखकर मुझे एक बात याद आती है। हमारे श्री कल्पनाथ राय जी ने कहा कि हजारो लाखो आदमियो ने त्याग किया। कौन नही जानता है कि हजारो लाखो लोगो ने त्याग किया। इसको कहने की क्या आवश्यकता है आपने कुरबानी की कीमत दनी चाही। यह कुरबानी की कीमत आप नही दे सके। कुरबानी की कीमत कोई पेशन नही है। हो भी तो उसमे भी जो फजीता है वह लगता है कि जिन्दगी की दूसरी कुरबानी उनको देनी पड रही है। जिस तरह से चरित्र हनन की बात राजनीति मे आई उसको सब लोग जानते है। जिसने भी आजादी के लिए कुरबानी दी है उसको देना चाहिए, चाहे वह फरार है। लेकिन आप देने का कागजी हिसाब क्यो करते है? समाज मे आज भी बहुत तरह के लोग है जो इसको जुटा लेगे। लेकिन जो सज्जन होगा वह नही जुटा पाएगा। मै आपको याद दिलाना चाहता हू कि आपके पूर्व मत्री जो महाराष्ट्र के मुख्य मत्री बने, चव्हाण जी, मैने एक बहुत पुराने काग्रेसी कार्यकर्ता जो चार बार विधायक रहे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे, काग्रेस के चीफ व्हिप रहे, उन्होने पहले आवेदन नही किया। जब उनकी स्थिति गडबडाई तो उन्होने आवेदन किया। मेरे साक्षी, आपकी काग्रेस के वहा के सासद ने अग्रसारित किया और कहा। एक अधिकारी ने कहा कि हम इसको नही होने देगे। इसके चलते दूसरो को काटना पडेगा तो उनसे भी काटेगे और उस अधिकारी ने काट कर नही दिया। न चव्हाण साहब कुछ कर सके और न बूटा सिह जी कुछ कर सके। आप लगे है मुझे नही पता आपकी कलम चलेगी या नही। आप क्यो बेइज्जत करते है? हमारे कुछ काग्रेसी नेता भी कहते है मत्री जी, सभी राज्य सरकारे ही तो इसका जमाखर्च करके भेजती है कि यह स्वतत्रता सेनानी है और यह स्वतत्रता सेनानी नही है। उनके लिखने पर देते है। यो आप अधिकारियो को कहते है कि जो पैसा दे उनको दो और जो पैसा न दे उसको न दे। आप आश्वासन देते है लेकिन आपका आश्वासन उनके आगे चलना नही है। मै पुन निवेदन करूगा कि जो राज्य सरकार है जो रिकार्ड रखने वाली है अगर आप को मान्यता दे दे तो आप इस झझट से बरी हो जाइये। प्रस्ताव आया है तो उसको चुपचाप दे दो। आप तो एक कदम आगे चलने वाले है। जिसने 1942 तक सघर्ष किया है अगर वह आवेदन नही करता है तो हम उनको देना चाहते है, उनको सम्मान देना चाहते है। जब तक आप नही देते तब तक के लिये मै लेता हू कि फिर आप सम्मान देने के नाम पर उनको बेईमान और बेइज्जत क्यो करते है। मै यही आप से कहना चाहता हू।

दूसरी बात यह कहना चाहता हू कि जब यह संविधान बना तो दलीय प्रजातंत्र

के लिये बना । प्रजातंत्र सबसे अच्छा और आज के युगानुकूल है । लकिन दलीय प्रथा मे आजादी के बाद विचित्र बात आयी । आत्म प्रशंसा पर निन्दा पर जब हम बोल रहे है तो हम से पवित्र, हमसे ईमानदार कोई नहीं है, ऐसा लगता है । आप के खिलाफ जो बोले वह भ्रष्ट हैं । इस प्रतिस्पर्द्धा में एक दूसरे को मात देने के लिये जितना चरित्र हनन हम कर सकते थे किया । आज स्थिति हमारी और आपकी यह हो गयी है कि हम जनता के कठघरे में खड़े है । सुखदेव जी आप जानते है जनता बोफोर्स को क्या कहती है ? वह और कुछ नही जानती । राजस्थान में जनता कहती है कि बर्फी, इतनी बर्फी, इतने करोड़ों रुपये की बर्फी कैसे खा गये । यह मत भूलिये इस देश में 68 प्रतिशत जनता अशिक्षित है । यह मत भूलिये 50 प्रतिशत से कम लोग गरीबी की रेखा मे नीचे रहते है । प्रजातंत्र का बेसिक आधार है पेट भरा हो, लोग शिक्षित हों । आज ढिढोरा पीटने के लिये हम भले ही कह दें कि बोफोर्स में कोई दोषी नहीं है । जनता यह मान बैठी है कि इसमें दोषी हैं । 1977 में जनता हमारे अनुकूल बठ गयी थी और 80 में हमारे प्रतिकूल और अब आपके प्रतिकूल यह बात बैठ गयी हैं । इसलिये कि 40 वर्ष जो आपने संवैज्ञानिक ढंग से कहा था कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक बच्चे सभी शिक्षित होंगे लेकिन उसको नही किया । सात पंचवर्षीय योजना बना कर उन गरीबों के पास पैसा नही पहुंचा सके । इसलिए मै पुन: याद दिलाना चाहता हूं की आपकी योजना में आज भी चौथा खंभा नही है । चौथा खम्भा है हमारी जनता और वह आपकी योजना में शामिल नही है । आप प्रत्येक जिलाधीश को एक करोड़ से लेकर तीन करोड़ तक खर्च करने के लिये देते हैं । योजना वह बनाता है, खर्च वह करता है, जांच भी वही करता है । तीन-तीन केटेगरी वह सम्भालेगा तो तानाशाह नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा । यही ब्लाक अधिकारी का हाल है । उसका दोषी कौन होगा ? जो इस तंत्र के ऊपर बैठा है वही उसका दोषी होगा । आप यह बताइए कि जब कल्पनाथ जी चरित्र हनन की बात करते है, हम भी करेंगे तो पूछेंगे क्या । जब आप को भाषण देना ही था तो आपने राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को, रामाराव को, देवी लाल को गाली देनी ही थी । अगर आप कहते है कि जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता ने आपको अच्छा समझा है . तो जनता ने उनको बहुत प्यार से बहुमत से थम्पिंग मेजोरेटी से चुन कर भेजा है । समाज का अगुआ अगर सड़ गया, अगुआ अगर शंका के घेरे में आ गया तो समाज का उत्थान उसके निवारण के बिना नहीं हो सकता । इसलिये आज आवश्यक हो गया है कि ऐसी शंकाओं का निवारण हो । हमारे अनेक मित्रों ने कहा है कि यह असत्य है लेकिन इससे काम नही चलेगा । आपकी जो सच्चाई है वह प्रकट भी होनी चाहिए, आपकी सच्चाई पर लोगों को विश्वास भी होना चाहिए । जब तक आपकी सच्चाई पर विश्वास नहीं होता तब तक सच्चे होने हुए भी आपको सच्चा नहीं माना जा सकता । मैंने एक बड़े चिन्तक से पूछा कि आप बहुत चिंतन करते हैं, समाज में भ्रष्टाचार जो आज उसका एक अंग बन गया है वह कैसे मिटेगा । वे पांच मिनट सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि समाज में भ्रष्टाचार को उसका अंग बनने में सैंकड़ों वर्ष लग गये इसलिये अगर आप कुछ दिनों में उसको धोना चाहेंगे तो आप उसको नहीं धो सकते । समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी संख्या में अच्छा काम करना होगा ताकी लोगों को भी दिखाई पड़े कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन आज हमारे वचन और कर्म दोनों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है । कांग्रेस पार्टी पर यह जवाबदेही सिर्फ सरकार के नाते नही बल्कि इसलिये भी है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है । उसका अगर बुरा आचरण होगा तो समाज में ही उसका असर नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरे दलों पर भी उसका असर पड़ता है । आपने जनता पार्टी का नाम बहुत लिया । जनता पार्टी बनी और वह सत्ता में आई । क्या आप बतायेंगे कि उसमें कांग्रेसी कितने थे ? जनता पार्टी जब शासन में आई तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आर्शीवाद के

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

साथ जब वह सत्ता मे आई तो उसमें कांग्रेस के लोगों का ही वर्चस्व रहा। चाहे मोरारजी देसाई हों, चाहे स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी हों और चाहे स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी हों। ये कांग्रेस के उद्‌भट नेता रहे थे और उद्‌भट नेता ही नहीं बल्कि मोरारजी देसाई की तरफ जब से वह शासन में आये उस समय से लेकर आज तक कोई उंगली उठाने की हिम्मत नही कर सकता। उनमें जरुर एक ऐब था जो युगानुकूल नही था। सब को साथ में ले चलने की क्षमता उनमें नही थी। उनमें ईमानदारी और कठोरता थी। ऐसे व्यक्ति पर आप कोई आक्षेप नही लगा सकते। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति पर आप आक्षेप करने से नही रुक सकते तो फिर यह दलीय प्रशासन घोरतम और निष्कृठतम पराकाष्ठा है। अगर यह है तो फिर आपकी पार्टी कैसे चलेगी। आज भी स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु की स्मरण किया जाता है। कल तक हमारे राजीव जी की भी लोग स्मरण करने की सोच रहे थे लेकिन आज में और कल में आकाश-पाताल का अंतर हो गया है। मुझे याद है, एक हरिजन एम०पी को मकान से बेदखल कर लिया गया। जब नेहरू जी को इस बात का पता चला तो वे दौड़कर वहां पहुंचे और उस वक्त उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि अगर फिर तुम्हें यहां देख लिया तो तुमको जेल भिजवा दूंगा। जब सासद उनसे मिलने जाते थे तो वे सिर्फ आग्रह से मिलते ही नही थे बल्कि आग्रह से छोड़ते भी थे। लेकिन आज सांसद की चिट्ठी के, दस दस चिट्ठियों का जवाब भी मंत्री नहीं देते है। कहने के बाद भी उनकी बात का ध्यान नही रखते हैं। जब आप सांसदों की यह स्थिति बन गई है, पता नही मंत्रियों की भी शायद यही स्थिति हो गई है, मैंने कितने मंत्रियों को सचिवों के सामने जो उनकी स्थिति है उसको देखा है और मैंने कुछ मंत्रियों से कहा भी है कि क्या आपको अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान का ख्याल नही। आपको इसका ख्याल नही है लकिन हम तो इसका ख्याल करते हैं। तो मै यह निवेदन करना चाहता था कि आज आवश्यक हो गया है कि हम जनता के सामने अपने को साफ करें। अपने को साफ करने का एक तरीका मालवीय जी ने आपके सामने रखा है। आपने भी एक विधेयक लोकसभा में पारित किया है। लकिन यह जनरल नेचर का है। आप कहेंगे कि हमने लोकसभा में बिल पास किया है। लेकिन यह जनरल नेचर का है। इससे जनरल बात तो होगी लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि उस जनता को देखने वाले जो मंत्री और सांसद है वे इससे बचे है। इसलिये मालवीय जी ने इसको रखा है ताकि वे बचे नही। आपने ठीक कहा कि मंत्री लोग अपना ब्यौरा देते है। लेकिन इन बिल में इस संबंध में थोड़ा सा फर्क है कि वह ब्यौरा सार्वजनिक भी हो।

मंत्री, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री अपना ब्यौरा देते है पर वह ब्यौरा सार्वजनिक भी हों। इन्होंने भी इस चीज को पूरा नह किया है। इन्होंने कहा है कि अध्यक्ष को दे दिया जाए, वहां पर प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री को दिया जाए यह जब तक सार्वजनिक नही होगा तब तक हम समझते हैं कि इसका पूरा और ठीक हिसाब जो हम लोगों को देना चाहते हैं वह नही दे सकेंगे हम तो यह कहना चाहते हैं कि जो आप कहते है हम को तो इतना ही पैसा मिलता है हम पब्लिक के आगे ओपन है। अगर हमारा एक भी पैसा बढ़ेगा तो हमारा क्रिटिसिजम होगा। वह इसलिए होगा क्योंकि हमारा एक एक पैसा जनता का है। नौकरी करने वालों को जो मिलता है वह भी जनता का ही पैसा है मगर वह कहता है कि हम भी काम कर रहे हैं। हमारा काम जो है वह निशुल्क सेवा है इसलिए हमारी सेवा में वेतन भत्ता युक्त नहीं है इसलिए आलोचना करते हैं लेकिन प्रजातन्त्र अगर बिना पैसे या भत्ते के हो जाएगा तो केवल बड़े बड़े लोग धनी ही इस में पार्टीसिपेट कर सकेंगे और आम आदमी और गरीब आदमी इसमें नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी

अपनी जीविका की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस विधेयक की मेरी समझ में नितान्त आवश्कता है। हम चाहते है कि कांग्रेस दल को भी इस विधेयक को स्वीकार करना ही चाहिए। मैं अब इस विधेयक पर तीन बातें कहना चाहता हूं : जहां पर सम्पत्ति के ब्यौरे की बात कही गयी है वह चार्ट लम्बा चौड़ा होते हुए भी उसमें मैं यह कहना चाहता हुं कि एक बात छूट गई है वह है बेनामी सम्पत्ति की। अब इस में बेनामी सम्पत्ति कैसे आ जाएगी। उस में जो सब से बड़ा तरीका है वह कहना चाहता हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। अब हिन्दुस्तान में नाता रिस्ता इतना ही नही है कि बाप बेटा और पति पत्नी। बिहार में केवल यह नाता रिश्ता नहीं है नाता रिश्ता तो बाप बेटा मां की ससुराल फिर बेटी का ससुराल फिर पत्नी का जो सम्बन्ध है, फिर बेटे बेटी की जो शादी होगी उसका जो सम्बन्ध है सारे उस में सम्मिलित हैं। परिवार की परिभाषा हम पाश्चात् ढंग से सोचते हैं। वहां तो परिवार की परिभाषा में पति पत्नी आते है बच्चे भी जब तक नाबालिग होते हैं तब तक उनके साथ रहते है लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो हमारे नाती पोता सब रहता है। अगर नहीं भी रहता तो हम जहां तक सम्भव हो सकता है उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं इसलिए सम्पति का पूरा ब्यौरा इस में रहते हुए भी कम पड़ जाता है। उसी तरह से संबंध का भी जो विवेचन किया गया है वह विवेचन भी ठीक ठीक नही है और इस सम्बन्ध की परिभाषा हिन्दुस्तान को देख कर के विहार को देख कर के करनी पड़ेगी कि सम्बन्ध की व्याख्या कैसी हो। मैंने एक शब्द इन से पूछा था कि इस में विधायक क्यों नहीं है ? विधायक को भी पांच हजार रूपये मिलते हैं मैं यह भी पूछा कि आपने सांसद को ही क्यों घेरा ? जब चरित्र पवित्र करना है तो जड़ में बेस पर विधायक बैठा हुआ है अगर वह भ्रष्ट कर देगा तो हमारे पवित्र करने से पवित्र नहीं होगा। गंगा तो उद्‌गम से पवित्र आती है। इसलिए सब तरफ से इसको पवित्र करना पड़ेगा। इसलिए इस मे जनतंत्र के जितने अंग है जैसे विधायक सांसद सारे लोगों को इस में जोड़ना चाहिए तब तो यह विधेयक पूरा बनता है एक पूरा चित्र सामने आता है। फिर एक दूसरा सवाल उत्पन्न होता है जब मंत्री शब्द कहा जाता है तो कहते है कि इसमें प्रधानमंत्री को निकाल दो। मैं ठीक कहता हूं अगर पण्डित जवाहर लाल नेहरू होते तो कहते कि सब से पहले प्रधान मंत्री को इस में जोड़ दो। आज वह ऐसा कभी नहीं कहते प्रधान मंत्री को निकाल दो जो युग निर्माता होता है विधान निर्माता होता है वह सब से पहले अपने को आगे करता है। मुझे भारतीयता का एक उदाहरण याद है क एक राजा ने टहलते हुए किसी फुलवाड़ी में एक बहुत बढ़िया फल देखा वह उसके हाथ से टूट गया। उसके ऊपर राजा ने अपनी कोर्ट बैठायी और कहा कि मुझे हाथ काटने की सजा दो। लोगों ने कहा कि आपके हाथ नहीं काटे जा सकते हैं आप सजावार नहीं हैं आप राजा भी हैं लेकिन राजा ने कहा कि आज से इस हाथ पर सजा स्वरूप कुर्ता नहीं पहना जाएगा। उस समय भारतीय संस्कृति इस आधार पर चलती थी। हमने इस आधार को नही लिया। आप आलोचना करें, यूरोप में भी आलोचना होती है लेकिन उस अलोचना को भी एक मर्यादा है लेकिन हम उस मर्यादा मे भी परे चले जाते हैं। भूख उसकी भी है लेकिन हमारी भूख उससे भी परे है। वहां एक एक आदमी धनी है लेकिन हमारें यहां धनी भी गरीब है। वहां आपको टेक्स बचाने वाला नही मिलेगा। जापान में हमने एक व्यवसायी से पूछा कि आप इनकम टेक्स कैसे देते हैं तो उस ने कहा कि हमारा सब काम कम्प्यूर मे होता है। कम्प्यूटर में सब विवरण डाला और सब वहां जमा हो गया लेकिन हमारे यहां लाख कोशिश करने के बाद भी टाटा, बिड़ला जैसे बड़े बड़े लोगों का करोड़ों रुपया टैक्स हो बाकी है। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरे देशों का गरीब भी अमीर है, हमारा अमीर भी गरीब है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह साफ हो जाये तो ठीक हो। दो तीन चीजों का क्या हिसाब होगा। कालाधन और उसकी तस्करी का क्या होगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : कन्क्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कालाधन और तस्करी दोनों आज विधायक और सांसद को खरीदते हैं, इसलिए

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

कि चुनाव आपका खर्चीला हो गया है ।

श्री कल्पनाथ राय : यह गलत है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : गलत हो सकता है उनके लिए जो अपने पास से पैसा जुटा सकते है लेकिन जो नहीं जुटा सकते है उनके लिए ? आज हाजी मस्तान जैसा आदमी नेतृत्व कर रहा है, विचार करके देखिए, किसके बल पर ? पैसे के बल पर । पैसा कहां से आता है । अब या यह अज्ञानता है ? तुम्हारे उत्तर प्रदेश में चारो तरफ दौरा किया है, हजारों लाखों रुपया दान दिया और क्या क्या किया । तो यह तस्करी जो है इसका कुछ न कुछ हिसाब कैसे होगा ? चुनाव को भी सरल करना होगा । इसलिए बहुत बार कहा जा रहा है कि सरकार चुनाव का खर्चा वहन कर ले तो इससे पैसे वालों को खेलने का मौका कम हो सकता है । कहां कहां पर भारतीय सांसदो पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर आक्षेप आता है, उनके खरीदने की बात होती है, उनको कुछ सुविधा देने की बात होती है तो इस सुविधा को काटने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम सार्वजनिक जीवन की जिंदगी को पवित्र कर सकें । इसलिए मै पुन: निवेदन करूंगा कि इस सरल विधेयक को सरकार स्वयं स्वीकार करे और न स्वीकार करना चाहे तो जोर से कहने का सरकार का साहस नहीं है, जो पहले कांग्रेस चोर को चोर कह देती थी और गलत किया है तो गलत कह देती थी । इसलिए इसको सरलता से स्वीकार कर लेते है तो शायद आपका भी लाभ होगा और देश का भी कुछ लाभ होगा । जनता जरा समझेगी कि चलो भाई अपने से ही अपने को साफ करने की कोशिश कर रहे है तो इनको साफ करने का मौका देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मालवीय जी के विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मालवीय जी ने जो प्रस्तुत किया है, इस पर मेरा कहना है कि यह कुछ व्यापक नहीं है । इसमें संसद सदस्यों और मंत्रियो को सीमित रखा गया है । कहना मेरा यह है कि आज हमारे राजनीतिक लोगो को अपने ही बारे में चिंतन जागा है, लेकिन समाज के बाकी लोगों के बारे में यह कम है । सरकारी अधिकारी क्यों इससे वंचित रखे गये है, जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है उनको क्यों नही देना चाहिए सम्पत्ति का ब्यौरा उनके बारे में मालवीय जी की क्या राय है ? मै उनसे शायद सहमत हो जाऊं अगर वह यह साफ करें कि सरकारी अधिकारी जब सर्विस मे आता है तो उसको अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं देना चाहिए । क्या ऐसे लोग जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त करते है किसी भी तरह का उनको अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं देना चाहिए । इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत व्यापक नहीं बनाया गया है और राजनीतिक लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने में अपना बड़ा भारी एक तौर से कुछ अपने जीवन का लक्ष्य बना बैठे हैं । मैं जानता हूं कि राजनीतिक लोगों मे अधिक खराब लोग समाज में और भी है । उनकी चर्चा करना कुछ मुनासिब नहीं है इस वक्त । हम तो मंत्री रहे हैं उपसभाध्यक्ष जी और अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है, सरकार को भी और पार्टी को भी । जब असेम्बली में मेम्बर था तब भी दिया हुआ है । लोकसभा में आया तब भी दिया है, पार्टी को भी और गवर्नमेंट को भी । कोई नयी बात मुझे नजर नहीं आई इस विधेयक में, कि कोई नयी बात लाई जा रही है । मै अपना उदाहरण देता हूं, अपनी पार्टी का उदाहरण देता हूं, अपने मंत्रियों का उदाहरण देता हूं, वे सब देते रहे है । अब इसको लेकर यदि भ्रष्टाचार और बहुत तरह की बातें बोलें, यादव जी ने पता नहीं किस किस को जोड़ लिया तो भी मुनासिब नहीं हैं ; यह मैं समझता

हूं। जनता को इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं समझना चाहिए विपक्ष के लोगों को जैसे यादव जी कह रहे थे जनता बहुत समझती है, जनता समझती है कि जो उसको होशियार नहीं समझते बेवकूफ समझते है वे भी बेवकूफ हैं। वह अकलमन्द है भी नहीं। जनता के बारे में यह मुगालता होना कि उसको विपक्ष के लोग ही ज्यादा समझते है— हम भी चौबीस घन्टे जनता के बीच रहते है और देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सहम नहीं रहे हों।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और विदेश मे भी।

श्री राम चन्द्र विकल : हां विदेश भी जाने का सौभाग्य हो गया। गांधी जी के जन्म-दिन पर मास्को में गांधी जी के ऊपर भाषण करने के लिये जाने का सौभाग्य भी हो गया। वहां पर मैं खुद देख कर और समझ कर आया हूं कि सच्चाई क्या है।

तो यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का आधार जब तक है भ्रष्टाचार की व्याख्या मेरे जैसे से तो होती नहीं न मैं जीवन में कभी भ्रष्टाचार के बारे में बोलता हूं। व्यक्तिगत सम्पत्ति जहां है तब भ्रष्टाचार क्या है और क्या नहीं है इसकी परिभाषा कोई भी नेता करके दिखाए कि भ्रष्टाचार हम इस सीमा तक मानते है? तब एक कठिनाई में पड़ जाता है हमारा देश।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

व्यक्तिगत सम्पत्ति भी हो व्यक्तिगत बहुत सी चीजे हों और भ्रष्टाचार की परिभाषा भी न की जाये, तब फिर कुछ भी छोटी-बडी बातें कर लो। मैं तो इस राय का था और यादव जी भी बोल रहे थे आपस में एक दूसरे से—हम तो जब बचपन में पढ़ते मैं तो उस शिक्षा मे किताब में पढाया जाता था—

बुरा जो देखने में चला, बुरा न दीखा कोय।
जो दिल खोजा मैं आपना उससे बुरा न कोय।।

हम अपनी बुराई को पहले देखते थे। तब और सारे समाज को अच्छा समझते थें। हमे बुराई को पहले ढूढने से भी नहीं मिलती थी और बुरा अगर कोई है तो मैं हूं, यह हमने मालवीय जी से पढ़ा था, बचपन में। अब परिभाषा बदल दी, मैं क्या करूं। अब परिभाषा यह बदल गई सारे समाज की जिसमें राजनीतिक रूप भी आ गये—

भला जो देखन मैं चला, भला न दीखा कोय।
जो दिल खोजा मै आपना, उससे भला न कोय।

अब यह परिभाषा बदल दी लोगों ने। अपनी भलाई के अलावा कहीं नजर ही नहीं आती। कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना ही अच्छा प्रशासक क्यों न हो कितना ही अच्छा मंत्री क्यों न हो, अपोजिशन के लोगों को भी सीमायें बांधनी पड़ेगी, अच्छाई - बुराई तय करने के लिये। जो अच्छा है, जिसका प्रशासन अच्छा है, शासन अच्छा है या जो व्यक्तिगत अच्छा है, उस भले को तो भला करो। लेकिन अपने अलावा कोई भला न दीखे, अपनी पार्टी के अलावा कोई पार्टी भली नजर न आए, अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का प्रोग्राम समझ न आये, तो थोड़ी सी विडम्बना हो चली है, जो मैं अपने देश की डेमोक्रेसी के लिये खतरा समझता हूं। मैं डेमोक्रेसी के लिये बहुत चिंतित हूं और मैं सारे देश में जा रहा हूं कि डेमोक्रेसी कैसे जीवित रह सकती है।

मैं शरू से ही कहता आया हूं कि डेमोक्रेसी पक्ष और विपक्ष से चलने वाली है। यह दो पहियों की गाडी है, जिसमें पक्ष भी जरूरी है और विपक्ष भी जरूरी है और मैंने यह भी कहा कि और रोज कहता हूं कि सरकार के सन्नी कामकाज को विपक्ष को दिल से समर्थन

[श्री राम चन्द्र विकल]

देना चाहिये, तुरन्त और अपोजिशन के सही सुझाव को सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिये, डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए। तो यह मान्यताएं जरुरी है।

मैं यह भी मानता हूं कि जनतन्त्र इस देश में सजग और सावधान जनता से चलाया जा सकता है। सजग और सावधान जनता उसे कहते हैं, जो नुमाइन्दे की अच्छाई-बुराई और पार्टी प्रोग्राम्स को समझती है। यहां तो ऐसी पार्टीज भी हैं, जिनका न कोई प्रोग्राम है, न देश-व्यापी संगठन और पार्टी का नाम दे रखा है, कोई देश-व्यापी प्रोग्राम नहीं है, मैम्बरशिप भी नहीं है, और चनाव में कोई स्ट्रेंग्थ भी नहीं है। पार्टियां हों, तो प्रोग्राम के आधार पर और पार्टियों को यहां उनको समर्थन किसी रूप से चुनाव में जाहिर किया गया हो। ऐसी पार्टियां देश में हों, तो डेमोक्रेसी चल सकती है और जैसे मैं कहता रहता हूं कि इस सदन से भी चलती है हमारे नुमाइंदे स जग और सावधान हों, जनता के सामने सरकार को कठिनाइयों को हिम्मतपूर्वक रखते हों, सरकार के प्रोग्राम में क्या कठिनाइयां हैं, सरकार की क्या कठिनाइयां हैं, लेकिन सरकार के सामने जनता की कठिनाइयों को निर्भीकतापूर्वक रखते हैं, ऐसे नुमाइंदे भी डेमोक्रेसी रख सकते हैं, चाहे वह किसी पार्टी के क्यों नहीं जो सरकार के सामने जनता की कठिनाइयों को निर्भीकतापूर्वक रख सकें, ऐसे नुमाइंदे देश में डेमोक्रेसी को जीवित रख सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, डेमोक्रेसी सदनों में भी रहती है जैसा कि सुबह भी थोड़ी सी चर्चा की थी हमारे अध्यक्ष से लेकर हमारे पक्ष विपक्ष के मेम्बर सदन में क्या करते हैं, सदन की भूमिका किस तरह अदा करते हैं और सुबह कह रहे थे कि सभापति जी पर ही छोड़ दिया अनुशासन--मैंने कहा था कि अनुशासन सदन के सदस्यों पर भी निर्भर करता है--पक्ष के सदस्य कैसे हैं, विपक्ष के सदस्य कैसे हैं, तब जाकर सदन चलता है।

तो डेमोक्रेसी सदनों में भी जाहिर होती है और जीवित रह सकती हैं और डेमोक्रेसी यूथ पार्लियामेंट के द्वारा बच्चों में डेमोक्रेसी के संस्कार पैदा करने से भी--मैंने यूथ पार्लियामेंट को लेकर सारे देश में जा रहा हूं। हमारे बच्चे पार्लियामेंट की नकल करते हैं, सोचते हैं कि देश -विदेश की क्या प्राबलम्स हैं। अन्दर और बाहर की समस्याओं का तात्कालिक ज्ञान होता है। उनको खाली ज्ञान ही नहीं होता है और मैं आज भी सुबह होकर आया हूं एक यूथ पार्लियामेंट में और वहां बच्चों को तात्कालिक हमारे देश की और विदेश की समस्याओं का पूरा ज्ञान होता है फिर बच्चे ज्ञान अर्जन करके प्रभावी ढंग से पक्ष और विपक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वह तरीका उनको बचपन में आ जाता है। उप सभाध्यक्ष महोदय, जो सब से बड़ी डेमोक्रेसी बच्चों में आ रही हैं यूथ पार्लियामेंट के द्वारा वह यह कि दोनों तरफ के पक्ष-विपक्ष की ओर से कटाक्ष होता है और अपार सहनशक्ति अभी से बच्चों में आ रही है चाहे पक्ष में बैठे हों और चाहे विपक्ष में बैठे हों। यूथ पार्लियामेंट के द्वारा बच्चों में सहनशक्ति आ रही हैं, बच्चों में प्रशासक होने के गुण आ रहे हैं, वह कैसे बिहेव करेगा प्राइम मिनिस्टर कैसे करेगा, मिनिस्टर कैसे करेगा, आपोजीशन कैसे करेगा। तो इस यूथ पार्लियामेंट के द्वारा भी डेमोक्रेसी को इस देश में जीवित रखा जा सकता है। उप सभाध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी की भूमिका में हमारे लेखक और पत्रकार भी आ जाते हैं जो कि हमारे देश की आजादी में सहयोग और सहायता करते रहे हैं। डेमोक्रेसी को इस देश में कैसे जीवित रखा जाय उसके लिये पत्रकार और लेखक भी जरूरी हैं।

महोदय, इस विधेयक को जैसे मैंने कहा कि व्यापक नहीं है, यह केवल

एम० पी० और मिनिस्टर को ही खराब समझता है, उन्हों को ही अपना डेक्लरेशन देना चाहिये। मैं कहता हूं कि उनको तो देना ही चाहियें, हमने दिया है लेकिन उनके अलावा जो और लोग हैं उनको भी देना चाहिये। अगर सारे समाज में से भ्रष्टाचार को कम करना है मैं अधिक नहीं कहते हुये मैं इस विधेयक के द्वारा इतना ही कहना चाहता हूं कि हम राजनैतिक लोग एक-दूसरे का, एक-दूसरे की पार्टी का आदर करना भी सीखे तभी इस डेमोक्रेसी मे हम जीवित रहेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी सुना है, शायद कौन था जो जर्मनी में हिटलर के खिलाफ जो यह कहता था कि एक झूठ को सौ बार बोल दो तो वह सच हो जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गोएबल्ज।

श्री राम चन्द्र विकल : गोएबल्ज का यह कहना था कि एक सत्य को यदि सौ बार झूठ बोल दो तो वह झूठ ही हो जायेगा। कहीं डेमोक्रेसी इन पैमानों पर तो नहीं जा रही है कि हम ऐसे झूठ बोल चल जाये जो सौ बार बोलने में सत्य बन जाये? इन बातों को हमको सोचना पडेगा। मैं संदेह के बारे में कह रहा था। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज कोई जवान लड़की को उसका पिता उसे अपने साथ लेकर चले तो उस पर भी यह देश संदेह करने लगता है। इसी तरह से भ्रष्टाचार और अनेक बातों का नाम ले सकता है। "नेकी नौ कोस और बदी सौ कोस," यह तो हमारे गांव की कहावत हैं कि अच्छाई नौ कोस चलेगी और खराबी सौ कोस फैल जायेगी। वह हो या नहीं हो। इन बातों को थोडा सा सोच करके हमको और सब पार्टीज के लीडर्ज को यहां पर सम्माननीय सदस्य हैं उनको इन विचारों को ले करके चलना पड़ेगा तभी हम डेमोक्रेसी को सफल कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri J. P. Goyal.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, I have to go to the Business Advisory Committee meeting and so I request you to permit me to speak now.

SHRI J. P. GOYAL: I also have to go, but I shall skip.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, I rise to support the Declaration and Publication of Assets and Liabilities of Ministers and Members of Parliament Bill, 1986, moved by Shri Satya Prakesh Malaviya.

Sir, there is only one reasons—one dominating reason—which, to my mind, compels me to support this Bill, and that is, simply, this: Any Government servant of class I and above has got to furnish a list of his assets and liabilities every year to the Government. Why is it so? The Government feels that this particular person, in view of his position, may not do something during the course of the year by which he may amass wealth disproportionate to his income. Simply this reasons motivates me.

The other day I received my salary bill for Rs. 1,600-odd. This was after deduction of rent of house, furniture and other things and so the net was Rs. 1.600-odd. At that time somebody was sitting before me and he asked me what my pay was, I said, this is my pay, Rs. 1,600-odd.

4 P.M.

He said, "How can you live with sixteen hundred odd rupees unless you resort to some other means?" He then went on to tell me, "This is not your income you just want to become a Member. You use your influence and you try to make money by other means. You do make by other means because a Member of Parliament, once elected, gets assets accumulated which are disproportionate to his income." He even went on to suggest to me that Members of Parliament get Rs. 1,000 for a question to be asked in Parliament. This was an insinuation,

[Shri Ghulam Rasool Matto]

of course. But why should this insinuation arise? It is not the point whether the Members of Parliament are adequately paid or others are adequately paid. I have not to go into that point. But I have got to go into this point that there are insinuation that assets are made by elected Representatives which are disproportionate to their income. So, I support this Bill on that basis, so that these insinuations are disprovel.

I think the Government has to make one point very clear. There should be no two opinions about this. The Government must come out, and the hon. Minister who is here should come out with one categorical assurance now whether or not the Government in principle accepts this, that each Member of Parliament or legislator or Minister should declare his assets. The Government must make this clear. There are ways. If, in the opinion of the Government the Bill proposed by Shri Satya Prakesh Malaviya does not meet that requirement, they can come forward with another Bill or make a simple amendment, to my mind a simple amendment, in the Representation of People Act under which a Member has to give this Return every year, otherwise he should be disqualified once he does not do that. The Government must make this point very clear. I would request the hon. Minister of State for Home that he should initiate action if he has not already done so that we, the representatives of the people, must be answerable to the people, and the answerability comes. There are many means. There are many ways of doing it. But one of the means is that we must also declare our assets. After all, what have the Government servants, Class I and above, done that they are required to give the return? If they do not do that their ACRs are not written, their salaries are stopped, their grades are stopped. Why does that happen? So, I strongly support this Bill.

Now it is for the Government to think whether this Bill meets the requirement or any other Bill meets the requirement Perhaps, my Friend was saying that the Anti-Corruption Bill also encompasses this and the Lokpal Bill may also encompass this. It should be clearly spelt out whether the Ministers and Members of Parliament also come under that Bill and without any ambiguity. There is no harm. But the point is that the Government has to make a declaration right now in this House that they are for this thing, that Members of Parliament are answerable and that they must declare their assets so long as they are Members of Parliament. This declaration must come from the Government and that is why I wholeheartedly support the Bill.

Thank you.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी ने जो विधेयक रखा है—मंत्रियों तथा संसद सदस्यों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों की आस्तियों और दायित्वों की घोषणा तथा प्रकाशन और तत्संबंधी विषयों के लिये उपबंध करने हेतु। उसमें साफ लिखा है—"स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रणाली के लिये लोक जीवन की शुद्धता तथा ईमानदारी अनिवार्य है। जनता के प्रतिनिधियों को संदेह से परे होना चाहिये।" . . .

मान्यवर, भ्रष्टाचार किसी भी दल, किसी भी नेतृत्व, किसी भी अपोजीशन में निहित नही होता है बल्कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और उसे केटेगरीज में बांट कर हम नहीं देख सकते हैं। अभी जब एक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और जब फैक्चुअल ट्रुथ कुछ ला रहे थे तो बौखला कर कुछ विरोधी सदस्य खड़े हो गये। उनकी शब्दावली हो सकता है, आपत्तिजनक रही हो संबोधित करने के लिये लेकिन जो उन्होंने कहा है सत्य है।

चार सौ रुपये तोला सोना था और जनता पार्टी के शासन काल में अट्ठारह सौ रुपये तोला रातोंरात हो गया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? यह लोकतंत्रीय प्रणाली की शुद्धता और ईमानदारी का प्रश्न नहीं था? न जाने

कितने लोग कांग्रेस से निकाले गये। जब वे कांग्रेस में थे तो अशुद्ध और भ्रष्ट थे लेकिन ज्यों ही निकाले गये उन्हें अपोजीशन के लोगों ने रोक लिया और ईमानदारी में सत्यवादी हरिशचन्द्र का अवतार बनाकर इतनी हवा भरनी शुरू की कि गुब्बारे की तरह वे लोग फूलने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये गुब्बारे फूट जाते हैं। ऐसा 40 वर्षों के जनतंत्र में कई बार देखा गया है।

केवल संसद सदस्य और मंत्री की बात इस बिल में की गयी है। विधायकों का क्या होगा? ब्लाक प्रमुखों का क्या होगा? जिला परिषद के सदस्यों का क्या होगा? गांव सभापतियों का क्या होगा। जनतंत्र में कुछ को हम लें और कुछ को छोड़ दें, यह एकांगी हो जायेगा। यह ठीक है कि आज देश में ही नहीं सारे विश्व में जन प्रतिनिधियों की ईमानदारी और शुद्ध जीवन की आवश्यकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता की मांग जोर पर है। लेकिन जहां हम आज देखते हैं कि चुनाव सुधार की बात करने वाले एक नेता हमें मिलते हैं और उसे आहुत करने वाले लोग प्रांत के सर्वोच्च सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके परिवार के लोग लैंड ग्रेबिंग करते हैं, सिनेमा की जमीन नाजायज ढंग से हड़पते हैं और अपने परिवार-वाद को बढ़ावा देने के लिये गलत टैक्स का विवरण देते हैं। यहां जिन सिनेमा कलाकारों का नाम सदन में टैक्स चोरी में लिया गया था उनमें शासन में बैठे हुए उस मुख्यमंत्री का भी नाम टैक्स चोरों में था। क्या वे मालवीय जी की लोकतंत्रीय प्रणाली और लोक जीवन की शुद्धता तथा ईमानदारी के दायरे से परे हो सकते हैं? मैं तो मांग करूंगा कि सरकार को ईमानदारी के साथ ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनकी विश्वसनीयता आज डाउटफुल है, जो जनता के बीच में आलोचना का विषय बने हुये हैं, ऐसे लोगों पर कमीशन बिठाकर इंक्वायरी करानी चाहिये। यह ईमानदारी, सद्चरित्रता तथा भ्रष्टाचार निवारण केवल सरकार के लिये नहीं बल्कि अपोजीशन के लिये भी उतनी ही जरूरी है। अभी हमारे एक मित्र, मैं नाम नहीं लेना चाहता कह रहे थे कि इस मामले में उनके बहुत से कुटुम्ब के सदस्य सम्मिलित हैं। आज देश में कौन से प्रांत हैं जिनमें सदस्यों ने चाहे विधान परिषद् में हों, मंत्रि परिषद् में हों, अपने कुटुम्ब के सदस्यों को अग्रगामी किया है। ऐसे लोगों की पहले आलोचना होनी चाहिये। विरोधी लोगों को चाहिये कि आइने में अपना चेहरा भी देखें कि हम जो चीजें उठा रहे हैं, उसका निवारण पहले अपने पास से शुरू करें। बोफोर्स की बात हमारे माननीय जगदम्बी प्रसाद जी ने की। और भी बहुत सी बातें हुईं। दो-दो पिछले सत्र इसी हल्ले में बीत गये। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जो दोषी होगा, जिसका नाम दलाली में पाया जायेगा उसको बख्शा नहीं जायेगा उसके बावजूद चीजों को इस तरह से पेंट करने की और इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़कर रखने की कोशिश की जा रही है कि वह गोबेल्स पद्धति से सिद्ध हो जाय। एक सत्य को सौ बार झूठ बोलने से सत्य झूठ हो जाय, इस कोशिश को बंद करना होगा। हम भ्रष्टाचार निवारण उन्मूलन विधेयक लोकसभा में पास कर चुके हैं। राज्यसभा में हम उसको ला रहे हैं। दायरा हमारा व्यापक होना चाहिये। उस व्यापक दायरे में चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे लाखों करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी करने वाले बड़े-बड़े मल्टी नेशनल्स घराने हों, चाहे राजनीति में जनसेवा करने वाले लोग हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विरोधी दल के लोग हों सभी को उसमें लाना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो करोड़ रुपये की थैली एक दल के नेता को पेश करने के समाचार अभी अखबारों में छपे हैं, वह रुपया कहां से आ रहा है? एक तरफ आप भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हो और खुद दो करोड़ की थैली लेते हो बिना किसी स्वार्थ के आपको कोई थैली देगा, यह हो नहीं सकता ऐसी स्थिति में निश्चित

[डा० रत्नाकर पांडेय]

रूप से जो पोलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर सब की निगाहें जाती हैं, उनको यह समझना चाहिये कि उनका आचरण कैसा है ? जन प्रतिनिधि जिस तरह का नेतृत्व देंगे उसी तरह की बात लोग भी करेंगे जनता उससे अप्रभावित रहे, यह हो नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में मालवीय जी का जो यह बिल है, यह बहुत अच्छा है लेकिन यह एकांगी रह गया है केवल संसद सदस्यों या मंत्रियों तक ही यह सीमित रह गया है इसका दायरा और व्यापक होना चाहिये हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है जो भी भ्रष्टाचार करता है, जो जनता की कमाई का दुरुपयोग करता है, शासन की ओर से जो जनता के हित चिन्तन मे पैसा खर्च होता है, जो उसमे भ्रष्टाचार करता है, उसको किसी भी तरह से बख्शना नही चाहिये उसके लिये ऐसा कानून होना चाहिये कि वह जिन्दगी भर याद रखे ताकि इस तरह की प्रवृति समाज में न पनपने पाये इसके लिये हमें चैतन्य होकर विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार सारी दुनिया में है हम सारी दुनिया को न देख कर अपने को देखें जैसे कबीर ने कहा है --

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।

जो दिल ढूंढों आपना, मुझ सा बुरा न कोय।।

कबीर ने कहा है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिये अपने दुर्गुणों को देखना चाहिये। दूसरों की बुराई देखने से पहले अपनी बुराई को देखना चाहिये। जब आत्मनिरीक्षण हम करेंगे, तभी भ्रष्टाचार दूर होगा। केवल संसद सदस्यों या मंत्रियों के ऊपर ही नही बल्कि सभी के लिये सर्वोच्च पद के लिये भी हमारे कानून होने चाहिएं। हमने लोक अदालत की स्थापना की है हमने उन शक्तियों को रोका है जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। अभी एक ऐसे नेता की बात हो रही थी जिनके लिये मोर्चा बनाया जाता है यहां पर ऐसे भी पार्टी के लोग हैं जो सदन के अंदर बैठ कर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिये बटन दबाते हैं और सदन के बाहर जाकर विरोधी लोगों के पक्ष में रुलिंग पार्टी की आलोचना करते हैं ऐसे लोग बाहर जाकर रूलिंग पार्टी को गाली देते हैं, ऐसे लोग समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं ऐसे लोगों का ट्रायल समाज करेगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जायेगा। दूसरे देशों की दलीलें देकर इस सदन के सदस्य बने रहें और रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करें और बाहर जाकर रूलिंग पार्टी को गाली दें, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगायें, तथ्यहीन आरोप लगायें, ऐसे दोहरे चरित्र वाले, नीचातिनीच काम करने वाले व्यक्ति--मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन मेरी ध्वनि को समझ रहा होगा--सदन में ऐसे लोगों को होना देश के हित में नहीं है समाज उनका ट्रायल करेगा मेरा विश्वास है कि चाहे कोई संसद सदस्य हो या मंत्री हो, चाहे अपोजीशन का हो जो मुख्य मंत्री हो, किसी को भी हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। इसके लिये हमारे नेता श्री राजीव गांधी जो निर्बाध रूप से विश्व जनमत के नेता हैं और मानवीय हितों के मसीहा हैं, कृतसंकल्प हैं भ्रष्टाचार मिटना चाहिये और संसद सदस्यों को उससे परे नहीं रखना चाहिये। लेकिन आज स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि अभी मट्टू साहब कह रहे थे सुखदेव प्रसाद जी भी कह रहे थे, कि जो मिलती है तनख्वाह एम. पी. को तो उससे खर्चा चलाना मुश्किल होता है काट पीट कर 1200 या 1300 रुपया हमको तनख्वाह मिलती है बहुत से प्रांतों में तो एम. एल. ए. को ज्यादा मिलता है और हमें उनसे भी कम मिलता है ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन में ईमानदार आदमी नहीं हैं हमारे जगदम्बी बाबू मंत्री रहे हैं, मैं जानता हूं कि इनकी हालत भी हैंड टु माउथ रही है। लेकिन जो मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी हैं जो

मारे जनतंत्र की हरी भरी खेती को हजम कर जाना चाहते हैं, जनतंत्र की फसल को रोंद देना चाहते है भेड़ की तरह उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और विस्तार से इस विधेयक में लिखना चाहिए कि हमारे रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाए चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे अफसर हो, चाहे किसी भी लेवल कैटेगरी का हो। जो अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, तनख्वाह लेते हैं क्या वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं? जो भी काम उसको दिया गया है अगर वह अपनी ड्यूटी पर सही और खरा नहीं उतरता है, अपने दायित्व पर, एकाउंटेबिलिटी पर एकदम सही नहीं उतरता है वह भ्रष्टाचारी की कैटेगरी में आता है। उनमें से किसी को बख्शना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक इस सदन में आयेगा। लोक सभा में वह पास हो चुका है। जो सूची हमें मिली है उसमें इस विधेयक का पहला नम्बर है। उस को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में और भी सुधार करके कुछ चीजें लाने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को लाकर व्यापक और राष्ट्रीय महत्व का बना कर हमें इस विधेयक को लाना चाहिए। मैं समझता हूं तभी जा कर मालवीय जी के विधेयक का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, घंटी भी बजा दी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

SHRI J. P. GOYAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I whole-heartedly welcome the Bill. In fact, I feel that not only the Ministers of the Central Government or the Members of Parliament but also the Ministers at the State level and the Members of the State Legislatures there is States also should have been incorporated. It appears that my friend Shri Satya Prakash Malaviya might be under the impression that the Parliament may not have the jurisdiction to pass laws regarding the Ministers and M.L.As but I do not agree because the Parliament has got full jurisdiction under entry No. 97, list I "On any other subject matter which is not incorporated in the three lists, the Parliament has got over-all jurisdiction" and just as the Parliament could legislate Representation of People Act for elections to the State Legislatures as well as to the Union Legislatures similarly, the Parliament has also got the jurisdiction to pass laws regarding this subject matter relating to the State Ministers and the M.L.As also. Just as my colleagues have spoken today as well as on the other day on the 28th August this Bill was discussed. The position today is that the general masses feel that a political person does not have the same credibility as he had before independence because in those days, political people and political workers used to sacrifice everything for the nation and for achieving independence but today after achieving independence, when we become Ministers or when we hold position as Members of Parliament or the State Legislatures, it is said that we are misusing the powers and amassing wealth for us, for our relations and for our friends. So, in order to have checks and balances on this aspect of the matter, there must be some legislation like the one which Shri Satya Prakash Malaviya has inroduced in this House and there is nothing in this Bill to say that this Bill should not be passed. As Mr. Matto and our friends have said, if the Government feels that some more things are to be incorporated and it should be a comprehensive Bill, of course, the Government can very well adopt this Bill with amendments or promise to the House that they will bring shortly some other comprehensive Bill incomprating other things which are not there. So I do not want to repeat what my other colleagues have said regarding the corruption which has entered today at the highest level. We have been talking about Committees, Parliamentary Committees to be set up and even Fair Commission has been set up. So, the whole thing has become the subject-

[Shri J. P. Goyal]

matter of ridicule and today, people see public men at the highest level with suspicion. In order to remove that suspicion for our future generations and for our politicians, it is necessary that everybody who is elected to this House, to Parliament or to State Legislatures must submit himself to the people by giving a declaration as is contemplated in this Bill as to his assets and liabilities and he should submit so from time to tome so that people may know whether he has amassed wealth or whether he is performing his duties as a Member of Parliament or as a Minister or as a Member of Legislature honestly. With these words, I support the Bill and Government should also adopt the Bill and get it passed.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Hon. Vice-Chaiman, Sir, I must first appreciate hon. Shri Satya Prakash Malviyaji who is the mover of of this Bill for his sincerity and for the laudable objective for which he ha introduced this Bill in this House. Sir, I must also thank all our hon friends who participated in this debate and I see that seventeen to eighteen Members have participated and have evinced keen interest on the subject and the objectives to this Bill.

Sir, there are no two opinions that public life must be rid of corruption and in fact, the dire need of the day today is purity in public life as our friends like Shri Vikal have suggested. Therefore, Sir, our Government under the leadership of Shri Rajiv Gandhi is entirely and fully aware that we must have a very clean administration free from corruption and also a clean public life. With this end in view, many Committees have been set up. One of the Committees is regarding the implementation of the objectives of the different institutions set up during the last forty years. It would see whether the objectives with which the insitutions had been set up are being fulfilled. The direction is, let us praise our achievements during the forty years of independence but let us also go in for deep introspection as to where our shortcomings are so that we can try to rectify them. This will help us adhere to the objective, as Mr. Jadhav and others said, of a life which suits Indian tradition, civilisation and culture, which is 6,000 years old and not 100 or 200 or 300 years old Therefore the entire objective and the effort is to see that we achieve a clean public life and also clean administration free from all corruptions.

Sir, as you know, we have adopted a system of parliamentary democracy and we have decided that we must, through this system of parliamentary democracy, establish a socialist order of society. There are different systems of Government in the world but nowhere has a Government accepted both standards that it should have a parliamentary system of democracy establish a socialist order of society, Either they accepted the parliamentary system of democracy and not socialism as their objective or they accepted socialism as their objective and not the parliamentary system. This is because of our tradition, thousands of years of civilization, our great past and culture. Therefore, we thought that it is only through the system of parliamentary democracy that we should achieve our objective. Therefore, towards that end when we are making our efforts we see today all these confrontations, these frictions. and when we try to change the society from one form to another, there are vested interests which resist the change. There were 560 princely states but it was only because of our parliamentary system of democracy that there was no bloodshed in changing them. There are vested interests clinging to the old system for thousands of years and when their interests were attacked, naturally there was friction, violent resistance. But it is only because we opted for the parliamentary system of democracy in order to achieve our objective that we are able to bring about the desired change in our social structure and we want to move forward with a greater speed

and a new objective. Of course, vested interests are still there trying to resist whatever changes we are trying to bring about. But we must remember always that these democratic system of society has come to stay, that the democratic institutions which we have built up during the last forty years have come to stay, and nobody can disturb them. Therefore, the best thing for us to do is to try and safeguard that democratic system of life and for that to have a very clean public life, a very clean administration. This is the *sine qua non* for having a very good, strong, parliamentary democracy. I am very happy I have always been associated with Private Members' Bills and during all these years of my association with Parliament, I have found that Private Members' Bills and Resolutions are a great instrument in motivating things. If something gets stuck somewhere, these Private Members' Bills and Resolutions really act as the motivating spirit and help the Government Public opinion is mobilised through these Private Members' Bills and Resolutions. This Bill, moved by Shri Satya Prakash Malaviya, has been discussed by so many Members, so many have participated the debate and have given their very good suggestions. This discussion will activate the Government. Very good suggestions have come up. The Government will try and see where it is held up. We agree with what Malaviyaji is saying. Can I say that I disagree with him? Our Government is in full agreement: we want a very clean public life. We are suffering from so many ills today. Therefore, I can safely say that we are in agreement; we are not in disagreement with what Shri Malaviyaji and other friends have said. Our Government is in full agreement with the spirit of the Bill which is before this House. It is a very good encouragement that Shri Malaviyaji is giving .

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): If is so, then accept it.

SHRI CHINTAMANI PANGRAHI: This question is agitating the mind of Parliament and Government not today. I was going into the history of this thing and I found that even the late lamented Mr. Kamath had taken up this question in the Constituent Assembly. I was with Mr. Kamath in Lok Sabha. I greatly regarded him. I held him in high respect. He had raised this question in the Constituent Assembly. He then brought a Bill in Lok Sabha. He never admitted defeat. He always kept his fight on. He brought that Bill and it was discussed thoroughly. So, this question of declaration of assets was first raised in the Constituent Assembly. When the articles of the Draft Constitution relating to the President, Union Ministers and State Ministers were being discussed in the Constituent Assembly, Prof. K. T. Shah and Shri H. V Kamath moved certain amendments for making Constitutional provisions for the declaration of assets by these dignitaries. This was thoroughly discussed. I was going through the debates in the Constituent Assembly and the debates were of a very high order. After a thorough discussion there, what Dr. Ambedkar said is very interesting. He said that it is not by acts of legislation that you can make this effective. He said that you should have the public opinion and you should educate the people so that at least this prevails because mere legislation will not help. Therefore the amendments of Mr. Kamath and Prof. Shah were negatived and they were not accepted by the Government. Again, Sir, this matter came up in the Lok Sabha, I think in 1963 and 1964 and it was thoroughly discussed in the Lok Sabha and again it was rejected. Again, Sir, it came up in 1977 and I think Mr Rajesh Pilot moved a Bill. Therefore the Government is thoroughly seized of this matter and everybody is seized of this matter and everybody wants something regarding this. I was going through the records and I found that in 1986, when Mr. Chavan

[Shri Chintamani Panigrahi]

was the Home Minister, this came up before him and this came up earlier in 1983 also in the Lok Sabha. I think on 10-11-1977, the Cabinet considered an informal note on the question and decided that a Bill be introduced by the Home Ministry to provide for the declaration of assets by all Members of Parliament. During the course of the discussion in the Cabinet on this question, it was felt that legislation should be undertaken either as part of the Lokpal Bill of 1977 which was then introduced or in the form of a separate Bill. This was all discussed then.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): But where does it stand now? That is the question.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: The entire mind of the House, either the Lok Sabha or the Rajya Sabha, and the mind of the Government, whoever may be in power, are still exercised on this matter and everybody is seized of this matter. As I said earlier, it is a democratic society and we have to find a kind of uniformity and then discuss the issue and then we have to bring forward a legislation. Therefore, we are giving the utmost importance to this kind of a measure which is needed. As you know, we have recently introduced Prevention of Corruption (Amendment) Bill and it is in the Lok Sabha and it may come here also. Then, as regards the Ministers, we are also submitting our returns.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: But it is not known to the public.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: We are submitting the returns. Sir, what Mr. Malaviya wants is that the Members of Parliament and the Ministers should submit the returns to the Presiding Officers. This is what he wants. Now we shall have to decide about it. Now, Sir, some honourable Members have said that this is no foolproof and many Members have expressed this opinion. Now, we have to decide whether we should make this an open document or not and whether it will serve the purpose or not. Now, I do not understand what crime the Members of Parliament have committed. I do not know whether Malaviyaji understands it or not. Members of Parliament come into contact with people and they are supposed be highly respected because of their integrity Now, the moment we say that the Members of Parliament also are subjected to this, all kinds of suspicions will arise and, therefore, we have to think about this . So, this needs a detailed discussion and we have to examine thoroughly all these points and the viewpoints of all the honourable Members. Many of the Members who have participated in this discussion have said that this is not a fool-proof Bill. This is what they have said. Mr. Goyal asked why we should not include the Members of the State Legislatures also in this. It is a loud thinking which has been stated now and I quite appreciate it.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: What about bureaucrats?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: They are also submitting returns. You cannot go on condemning the bureaucracy because they are also a part of the system. Therefore, in a democracy they are also a part of it. As Yadavji pointed out, in one individual case of freedom fighter... (*Interruption*) I hope we will succeed.

Many years also, since 1972 thousands of cases have been lying like this. And I must be grateful to friends like you that we have been able to sort out 7000 to 8000 cases which were genuine cases. Nobody took notice of it. Therefore, we are trying to find out whether the wife of Shri Bhatkeshwar Dutt who

was executed in Lahore jail is still alive in Patna. I must say that the Prime Minister is taking a lot of interest in expediting the cases of freedom fighters. Therefore, I must thank Mr. Malaviya and also the other hon. Members who have participated in this debate. As I said, the Government is seized of this matter. We are not in disagreement with Malaviyaji's Bill. But sir, it has to be thought of in the totality of the circumstances and as to how to fit it in. We shall see that a perfect. fool-proof Bill is introduced. I hope that with Mr. Malaviya's understanding he will withdraw the Bill because he has sufficiently highlighted whatever his intention was. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह : क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि सरकार कोई कम्प्रीहेंसिव बिल इस विषय पर लाने जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ऐसा ही समझ लीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूं और बहुत ही सक्रिय राजनीति में हूं। इलाहाबाद नगर महापालिका के सदस्य से लेकर आज यहां तक आने का मुझे मौका मिला है । लेकिन पहले राजनीतिज्ञों की ऐसी स्थिति नहीं थी ।

मैंने किसी बहुत ही नेक इरादे, से अपने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था, लेकिन इस देश के जो राजनीतिक हालात हैं, उसके फलस्वरूप आज इस देश की जो जनता है, सभी राजनीतिज्ञों को आम तौर से बेईमान और भ्रष्ट समझती है और इस लिए मेरा इरादा यह था कि कम से कम जो बहुत ही संदेह की बातें होती हैं, जो आम जनता अनापशनाप बात बकती है राजनीतिज्ञों के प्रति, तो इस तरीके का विधेयक संसद में पारित हो जाएगा, तो शायद जो चरित्र हनन् की बात होती है, वह समाप्त हो सकेगी । लेकिन आज राजनीति की हालत काजल की कोठरी की तरह से है, काजल की कोटरी में जो भी घुसेगा, उसके कपड़े और उसका बदन काला ही होगा ।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, सन् 1984 में जब इस देश में लोक सभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय अपने चुनाव भाषण में और चुनाव घोषणा पत्र में भी—तब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने इस देश की जनता के साथ वायदा किया था कि यदि हमारी सरकार चुन कर के आयेगी, तो इस देश को हम साफ और सुथरी सरकार देंगे । यही नहीं हुआ, मान्यवर, सन् 1985 और उसमें मैं समझता हूं कि आप अवश्य उपस्थित रहे होंगे बम्बई में जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ—शताब्दी समारोह के सिलसिल में, तो प्रधान मंत्री जी ने वहां कहा, जो उनका अंग्रेजी में वाक्य था—"I will clear away brokers from the corridor of power. सत्ता से मैं दलालों को दूर रखूंगा और इसी उद्देश्य से मैंने प्रधान मंत्री जी को और जिस सरकार के सदस्य माननीय राज्य गृह मंत्री, श्री चिंतामणि पाणिग्रही जी हैं, उस सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने अपना यह विधेयक प्रस्तुत किया था और बार-बार इस देश की जनता भी कहती है और इस देश के जो दोनों सदन हैं, लोक सभा और राज्य सभा, वहां पर बराबर इस तरह के विधेयक लाये गये हैं और बार-बार सरकार ने भाषण भी दिया है, लेकिन इन आश्वासनों की पूर्ति आज तक नहीं हुई है ।

मान्यवर, इस विधेयक के ऊपर तेरह माननीय सदस्यों ने भाग लिया—सर्व श्री रामेश्वर ठाकुर, पुट्टापागा राधाकृष्ण, एम०ए० बेबी, विट्ठलभाई मोतीराम पटेल, डा० विजय मोहन रेड्डी, कल्पनाथ राय, मुस्तफा बिन कासिम, सुखदेव प्रसाद, जगदम्बी प्रसाद यादव, राम चन्द्र विकल, गुलाम रसूल मट्टू डा० रत्नाकर पाण्डेय तथा जे०पी० गोयल ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

और इसके अतिरिक्त माननीय पाणिग्रही जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया केवल विठ्ठलभाई पटेल को छोड़ करके सभी सदस्यों ने मान्यवर, चाहे इस पक्ष के रहे हों या फिर चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों, सभी ने इसका समर्थन किया है और मंत्री जी ने इस विधेयक की भावनाओं का भी समर्थन किया है, भले ही कुछ सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं कि यह विधेयक व्यापक नहीं है, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिये या कुछ और जरूरी चीजें इसमें जोड़नी चाहिये। कल्पनाथ राय जी ने सुझाव दिया है कुछ जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसमें जोड़ना चाहिये। गोयल जी ने भी सुझाव दिया, जगदम्बी प्रसाद जी ने भी सुझाव दिया कि इसमें विधायकों के नामों को भी जोड़ना चाहिये और विधायकों को भी इसकी परिधि में लाना चाहिये। माननीय सुखदेव प्रसाद जी ने और माननीय मंत्री पाणिग्रही जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कोई भी जो मंत्री होते हैं वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा या उनके ऊपर जो दायित्व होता है इसका ब्यौरा प्रधान मंत्री के पास या मुख्य मंत्री के पास प्रस्तुत करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को सुखदेव प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, केन्द्र में भी मंत्री थे, लेकिन जो ब्यौरा मंत्री लोग अपने प्रधान मंत्री के पास प्रस्तुत करते हैं उसकी जानकारी जनता को नहीं हो पाती। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में हम संदेह के घेरे में रहते हैं, हम भले ही अपने को ईमानदार समझते हों लेकिन जनता में भी इस बात का विश्वास बैठना चाहिये कि जो लोग राजनीति में हैं निर्वाचित पदों पर हैं वे वास्तविक रूप में ईमानदार हैं और इसलिये मंत्री भी अपना इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करते हैं प्रधान मंत्री के पास या मुख्य मंत्री के पास तो इसकी जानकारी आम जनता को भी होनी चाहिये। मान्यवर, आखिर क्या हुआ पिछले चार-पांच महीने में अप्रैल से जो चर्चायें चली इस देश में उसने इस सारी सरकार को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। चाहे फेयरफैक्स का कांड हो, पश्चिमी जर्मनी के मामले में पनडुब्बी का सौदा रहा हो या बोफोर्स के तोपों की खरीदारी का मामला रहा हो। जब शुरू-शुरू में इस देश के लोगों को जानकारी हुई तो सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया कि बोफोर्स के मामले में तोपों की खरीदारी में न तो कोई बिचौलिया है और न एक भी पैसा कमीशन के रूप में लिया गया है। यह बात लोक सभा में उठी और इसी राज्य सभा में सहकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई, लेकिन जब आडिट रिपोर्ट आई उन्होंने अप्रैल के महीने में इस बात को कहा Midllemen were involved and commissions were received.

तब सरकार को अपने पक्ष को बदलना पड़ा और तब सारा देश श्री राजीव गांधी जी को भी संदेह के घेरे में देखने लगा तो मजबूर हो करके इसी लोक सभा में श्री राजीव गांधी का स्पष्टीकरण देना पड़ा लोक सभा में उनको अपना वक्तव्य देना पड़ा क्योंकि वह संदेह के घेरे में आ गये थे और उसकी सफाई भी होनी चाहिये थी। उन्होंने जो भी समझा लोक सभा में खड़े होकर अपना वक्तव्य दिया कि Neither I nor any other member of my family has received any amount as commission in the Bofors Deal. मैं नहीं समझता हूं अगर इस तरीके के प्रावधान और इस तरीके के विधेयक इस देश की संसद में पारित हो जायें, विधान सभाओं से पारित हो जायें तो कम से कम उन मूल्यों की हम रक्षा करेंगे जिन मूल्यों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई को लड़ा। महात्मा गांधी यही कहते थे कि जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं उनका आचरण शुद्ध होना चाहिये, ईमानदारी का होना चाहिये और इसीलिये 1984 में श्री राजीव गांधी ने स्वयं यह वायदा किया कि यदि हम चुन करके आते हैं और कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में प्रतिस्थापित होती है दिल्ली में तो हम इस

देश को एक साफ-सुथरा सरकार देंगे, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। इसीलिये सारे देश ने श्री राजीव गांधी को मि० क्लीन कहना शुरू कर दिया। लेकिन उनका वह वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। पाणिग्रही जी ने स्वयं इस बात को माना है कि इस देश की लोक सभा और राज्य सभा में बराबर इस तरीके के विधेयक आते रहे हैं। कामत जी की उन्होंने चर्चा की, कामत जी ने संविधान सभा की डिबेट्स मे भी इसीलिये सुझाव रखा था, बाद में कामत जी जब लोक सभा के सदस्य रहे तो उन्होंने अपना प्राईवेट मैम्बर्ज बिल प्रस्तुत किया। इस राज्य सभा में सदाशिव बागाइतकर ने उन्होंने अपना विधेयक प्रस्तुत किया। लोक सभा मे आज भी सदस्य है श्री कमलनाथ पिछली लोक सभा में उन्होंने रूल 377 के माध्यम से इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। यही नहीं 1981 मे राजेश पायलट ने भी अपना विधेयक प्रस्तुत किया था लोक सभा में, जिसका नाम था—"Declaration of Assets and Liabilities of Members of Lok Sabha & Rajya Sabha Bill" और श्री राजेश पायलट आज इस सरकार के मंत्री हैं। उस विधेयक पर मान्यवर, जब बहस समाप्त हुई तो मैं फिर उस आश्वासन को दोहराना चाहता हूं, जिसे उस समय के तात्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री निहार रंजन लास्कर जी ने लोकसभा मे 6 मई, 1983 को दिया था। पाणिग्रही जी से मेरा निवेदन है कि उनके आश्वासन की तरह इनका भी पड़ा न रह जाय। निहार रंजन लासकर जी ने कहा था —

"It would like to say that there can be no disagreement on the spirit of the Bill. The spirit behind the Bill is to ensure that Members of Parliament remain honest and do not misuse their power in any manner in order to obtain any personal gain either for themselves or their family members. Naturally, the Government is in full agreement with the spirit of the Bill which is before the House."

मान्यवर, 6 मई, 1983 को यह आश्वासन दिया गया था। 1984 में प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार का आश्वासन दिया सारे देश की जनता को और उसके बाद बार-बार आश्वासन दिये जाते रहे, दिये जाते है, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हो पाती।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं, थोड़ा सा उसका हुआ है। केबिनेट में चर्चा हुई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं आ रहा हूं वहां पर भी। यह लोकपाल विधेयक लाया गया, जो कि आज सेलेक्ट कमेटी के पास विचाराधीन है। इस बात को पाणिग्रही जी जानते होंगे, सारे सदस्य जानते हैं। लेकिन लोकपाल की परिधि से प्रधानमंत्री को अलग रखा गया। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, हमारा कानून देश के हर व्यक्ति पर बराबर लागू होता है, Everybody is equal before the law, nobody is above the law. लेकिन प्रधान मंत्री जी को लोकपाल विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया। इस पर सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूं कि सेलेक्ट कमेटी बनी और उस सेलेक्ट कमेटी के सामने मामला विचाराधीन है।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो आश्वासन हो, उसकी पूर्ति होनी चाहिये। मान्यवर, एक और बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है क्योंकि श्री कल्पनाथ राय जी ने उसकी चर्चा की अपने भाषण में। उन्होंने वैद्यलिंगम आयोग की चर्चा करते हुये कहा कि वैद्यलिंगम आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें मोरारजी भाई और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित पाये या चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी के खिलाफ जो आरोप थे, उनको साबित पाया। मैं यह समझता हूं और बहुत आदर के साथ कहता हूं, कल्पनाथ जी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मेरे साथी रहे हैं, उन्होंने शायद वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट में इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि इस मामले की ओर व्यापक जांच होनी चाहिये। उन्होंने रिपोर्ट में संस्तुति की कि जो कुछ मैंने देखा है, उससे मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं और इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है, सरकार के पास मेरी संस्तुति है कि इस मामले की व्यापक जांच होनी चाहिये। मान्यवर, वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट जब सरकार के पास प्रस्तुत हो गयी तो चौधरी चरण सिंह जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि जो जस्टिस वैद्यलिंगम आयोग की संस्तुति है, उस पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसकी व्यापक जांच कराइये। यही नहीं, मान्यवर, श्री भजन लाल जी के संबंध में जब एक आरोप पत्र लेकर के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के पास चौधरी चरण सिंह तमाम विपक्ष के लोगों को लेकर गये थे तो वक्त वार्तालाप में श्री राजीव गांधी ने उसी वैद्यलिंगम आयोग की चर्चा की थी। ठीक मान्यवर, उसके दूसरे दिन, चूंकि यहां पर चर्चा हुई, पहले मालूम होता तो चिट्ठी भी लेते आता, तो ठीक उसके दूसरे दिन मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ने प्रधान मंत्री के पास चिट्ठी लिखी कि आपसे कल बातचीत हुई थी, मैंने पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी लिखा था कि वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति को मानिये और उसी के अनुसार व्यापक जांच कराइये, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज चूंकि आप प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं और कल की चर्चा में जाने-अनजाने आपने बात उठाई, जब आरोप पत्र लेकर हम आपके पास गये थे, इसलिये मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि आप इस मामले की जांच कराईये। उस समय विभाग के मंत्री थे श्री के० पी० सिंहदेव, उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जो सरकार है वह पूर्व प्रधान-मंत्री के बात से सहमत हैं और हम लोग चूंकि चरित्र-हनन में विश्वास नहीं रखते, इसलिये वैद्यलिंगम आयोग की संस्तुति को मानने के लिये हमारी सरकार तैयार नहीं है।

मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा था कि कल्पनाथ राय जी ने अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह के परिवार की चर्चा की, मोरार जी भाई के परिवार की चर्चा की और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन० टी० रामाराव के परिवार की चर्चा की। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग सदन में उपस्थित नहीं होते उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि वह उस स्थिति में नहीं होते कि उसका जवाब दे सकें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखकर जो इस कार्यवाही में आया हुआ है, उसको हटाने की कृपा करें। अन्त में मान्यवर पाणिग्रही जी ने जो आश्वासन दिया है, वह उसे पूरा कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसलिये मेरी यही कामना है कि पाणिग्रही जी बहुत दिनों तक मंत्री बने रहें। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रहने वाली है, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहे, पाणिग्रही जी मंत्री बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि पाणिग्रही जी जो इस सरकार के प्रतिनिधि हैं। उनकी कथनी और करनी में और इस सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। हालांकि सरकार तो वह करती नहीं जो कहती है लेकिन पाणिग्रही जी से मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी पाणिग्रही जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे वह जिस मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उन सदस्यों पर दबाव डालेंगे और जिस प्रधानमंत्री के साथ पाणिग्रही जी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं उन प्रधान मंत्री के ऊपर भी दबाव डालेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ, उनके आश्वासन पर पूरा यकीन करते हुये मान्यवर मैं अपने विधेयक को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn